

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 986] No. 986] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर ८, २०१७/अग्रहायण १७, १९३९

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2017/AGRAHAYANA 17, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1498(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2017 है।
- 2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे अप्रैल, 2016 की 1 तारीख से अंत:स्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात् –
 - (चक) "भारतीय लेखांकन मानक" से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 में यथाउल्लिखित भारतीय लेखांकन मानकों से अभिप्रेत है।
- मूल नियमों में, उपाबंध में, प्ररूप सीआरए-1 और प्ररूप सीआरए-3 के लिए क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे और इन्हें अप्रैल, 2016 की 1 तरीख से प्रवृत्त रखा गया माना जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सीआरए-1

[कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा नियम), 2014 का नियम 5(1) देखें]

लेखा बहियों में शामिल किए जाने वाली लागत मदों से संबंधित विशिष्टियां

 सामग्री लागतः- (क) संदर्भ के अधीन माल के उत्पादन या सेवाओं की अदायगी के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के प्रत्येक मद की मात्रा और लागत वार सभी प्राप्तियां, निर्गम और शेष का अलग-अलग उचित अभिलेख रखा जाएगा।

7100 GI/2017 (1)

- (ख) सामग्री पावती का मूल्यनिर्धारण उसके खरीद मूल्य जिसमें फीस और कर, आवक भाड़ा, बीमा और अन्य खर्चें जो उपापन में प्रत्यक्ष रूप से हुए है (कर प्राधिकारियों द्वारा व्यवसाय कटौती, रिबेट, प्रतिदाय किए जाने वाले कर और फीस या जमा के रूप में प्राप्त) पर किया जाएगा जिसकी मात्रा अर्जन के समय युक्तियुक्त परिशुद्धि के साथ समनुदेशित की जा सके।
- (ग) सामग्री के अर्जन के संबंध में उपगत वित्तीय लागत माल की लागत का हिस्सा नहीं होगी।
- (घ) स्व-निर्मित सामग्री या सीमित खपत का मूल्य निर्धारण प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्ययों कारखाना के उपरिव्यय, उत्पादन से संबंधित ऊपरी प्रशासनिक उपरिव्यय के हिस्से को सम्मिलित करते हुए अन्य ऊपरी प्रशासनिक उपरिव्यय के हिस्से, वित्तीय लागत और ऊपरी विपणन उपरिव्यय को छोड़कर किया जाएगा।
- (ङ) अतिरिक्ति पुर्जे, यदि वे संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हों, तो इन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण माना जाएगा और तद्नुसार अवमूल्यन किया जाएगा। अन्यथा ऐसी मदों को माल सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (च) कारखाना या उस स्थान पर जहां सेवाएं दी जाती है, तक पहुंचने से पहले सामग्री का प्रसामान्य हानि या खराबी को आपूर्तिकर्ताओं, बीमाकर्ताओं, वाहकों और निपटान से वसूली द्वारा वसूले जाने योग्य शुद्ध रकमों को अधिशेष सामग्री की लागत में आमेलित किया जाएगा।
- (छ) सामग्री प्राप्त करने से पहले संकुचित होने या वाष्पीकरण के कारण कमी और बढ़ने या नमी सोखने आदि से वृद्धि को सामान्य रहने तक की मात्रा के अनुरूप करते हुए सामग्री लागत में सम्मिलित किया जाएगा।
- (ज) आयातित माल की विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार की तारीख की दर पर संपरिवर्तित जाएगी। भुगतान होने तक विनिमय दर में किसी प्रकार का पश्चात्वर्ती परिवर्तन या अन्यथा सामग्री की लागत का हिस्सा नहीं होगा।
- (झ) परिवहन या अन्य प्राधिकारियों द्वारा उद्ग्रहीत शास्ति, विलंब फीस या अवरोधन फीस या शास्ति सामग्री की लागत में भाग नहीं होगा।
- (ञ) किसी सामग्री लगात के संबंध में प्राप्त या प्राप्त करने योग्य आर्थिक सहायता या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसा कोई अन्य भुगतान वित्तीय वर्ष में जबकि वह आर्थिक सहायता या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसा कोई अन्य भुगतान आय माना जाएगा, को लागत से घटा दिया जाएगा।
- (ट) तत्समय प्रवृत्त लेखांकन मानक में निहित उपाबंधों के अनुसार समुचित पद्धति का उपयोग करते हुए निर्गम का मूल्य निर्धारण किया जाएगा।
- (ठ) जहां सामग्री की गणना मानक लागत पर होगी, वहां सामग्री से संबंधित मूल्य भिन्नताओं को सामग्री की लागत के भाग के रूप में माना जाएगा।
- (ड) कोई भी असामान्य लागत सामग्री लागत में अपवर्जित नहीं की जाएगी।
- (ढ़) जब कभी सामग्री लागत में परिवहन लागत जोड़ी जाएगी वहां परिवहन लागत का निर्धारण परिवहन लागत के निर्धारण के पैरा संख्या 9 द्वारा शासित होगा।
- (ण) स्व-निर्मित अवयव तथा उप पुर्जों या सीमित खपत का मूल्य निर्धारण प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, कारखाना के उपरिव्यय उत्पादन से संबंधित प्रशासनिक उपरिव्यय के हिस्से सम्मिलित करते हुए किंतु अन्य ऊपरी प्रशासनिक उपरिव्यय के हिस्से, वित्तीय लागत और विपणन उपरिव्यय को छोड़कर किया जाएगा।
- (त) सामान्य रद्दी या खराब माल जो खारिज कर दिया गया हो, की सामग्री लागत को निर्मित वस्तुओं की सामग्री लागत में शामिल की जाएगी। असामान्य रद्दी या खराब माल की सामान्य सामग्री लागत से अनाधिक को सामग्री लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। असामान्य रद्दी या खराब माल की सामग्री लागत को सामग्री लागत में नहीं जोड़ा जाएगा किंतु ऐसी रद्दी या खराब माल के प्राप्य मूल्य को खाते में जमा करने के बाद हानि माना जाएगा।
- (थ) सामाग्री लागत को जहां तक आर्थिक रूप से व्यवहार्य के उद्देश्य के लिए जोड़ा जाएगा या सामाग्री की उपयुक्त मात्रा या समरूप पहचान योग्य मापकों के आधार पर लागत के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा और उपर्युक्त सिद्धांतों पर उसके मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।
- (द) जहां सामग्री लागत को लागत वस्तु से सीधे नहीं जोड़ा जाता है, वहां तकनीकी प्राक्कलनों जैसे किसी उचित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

- (ध) जहीं सामग्री क्रेता द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा तैयार या निर्मित की जाती है। वहां अन्य पक्ष को भुगतान योग्य तैयार करने या निर्मित करने के प्रभारों को सामग्री लागत के रूप में माना जाएगा।
- (न) जहां विनिर्माण प्रचालन या क्रियाकलापों का कोई भाग उप-अनुबंधित होता है, सामग्री से संबंधित उप-अनुबंध का प्रभाव प्रत्यक्ष व्ययों की तरह माना जाएगा तथा सीधे लागत उद्देश्यों से जोड़ा जाएगा।
- (प) जहां अप्रत्यक्ष सामग्री लागत एक उचित आधार जैसे कि वास्तविक उपयोग या तकनीकी संनियम या एक समरूप अभिज्ञेय उपाय पर आधारित विभिन्न लागत वस्तुओं से निर्धारित किया जाएगा।
- (फ) उत्प्रेरकों, डाई, औजारों, ढांचों, नमूनों आदि जो एक अवधि में उत्पादन से संबंधित है, की लागत ऐसी लागत से लाभांवित उत्पात्दन इकाइयों पर क्रमिक उपाकरण की जाएगी।
- (ब) एक वर्ष से अधिक जीवनकाल वाली अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत सामग्री के उपयोग काल की लागत में शामिल की जाएगी।
- 2. कर्मचारी लागत:- (क) कर्मचारी लागत के संबंध में उचित अभिलेख इस तरह तैयार किए जाएंगे कि कंपनी इन व्यय को वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में लागत केन्द्रवार या विभागवार दर्ज कर सके। जहां कर्मचारी इस रीति से कार्य करते हैं कि उन्हें किसी विशिष्ट लागत केन्द्र या सेवा केन्द्र या विभाग द्वारा पहचानना संभव नहीं हो, वहां कर्मचारी लागत को उचित और युक्तियुक्त आधार पर लागत केन्द्र या सेवा केन्द्रों या विभागों को प्रभाजित किया जाएगा तथा संगत रूप से प्रवृत्त किया जाएगा।
- (ख) कर्मचारी लागत सभी फायदों सहित नियोक्ता द्वारा देय सभी भत्तों सहित सकल वेतन को ध्यान में रखते हुए अभिनिश्चित की जाएगी जिसमें किसी लेखांकन अवधि में वित्तीय कथनों में प्रभारित सेवानिवृत्ति फायदा की लागत शामिल है। जिन कंपनियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक प्रवृत्त नहीं होते, उनके मामले में अन्य वृहद आय में शामिल ऐसी लागत का पुनः मूल्यांकन कर्मचारी लागत का भाग नहीं होगा।
- (ग) बोनस, चाहे एक सांविधिक न्यूनतम भुगतान योग्य हो या अधिशेष के एक हिस्से के रूप में हो, को कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। बोनस के बदले में या अतिरिक्त अनुग्राहिक देय भी कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा।
- (घ) बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों और एक विधि के अधीन एक कारपोरेट निकाय के अन्य अधिकारियों सहित प्रबंधकीय कार्मियों को संदत्त पारिश्रमिक समनुदेशित वर्ष के कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा, चाहे पारिश्रमिक के संपूर्ण या एक भाग की गणना फायदों की प्रतिशतता के रूप में हो। गैर कार्यपालक निदेशकों के संदत्त पारिश्रमिक कर्मचारी लागत का हिस्सा नहीं होगें किंतु वे ऊपरी प्रशासनिक उपरिव्यय के भाग होगें।
- (ड.) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटनी, समाप्ति और संबंधित मामले से संबंधित पृथ्क्करण लागत को ऐसी लागतों से फायदें की अवधि में क्रमिक अपाकरण किया जाएगा।
- (च) कर्मचारी लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (छ) निष्क्रिय समय की लागत का निर्धारण निष्क्रिय कर्मचारियों या कर्मचारियों के एक समूह पर प्रवृत्त प्रति घंटा दर से गुणित निष्क्रय घंटों से किया जाएगा।
- (ज) जहां कर्मचारी लागत की गणना मानक लागत पर की जाती है, वहीं कर्मचारी लागत से संबंधित सामान्य कारणों से हुए अंतर कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माने जाएंगे। असामान्य कारणों से हुए अंतर को असामान्य लागत के रूप में माना जाएगा।
- (झ) किसी कर्मचारी लागत के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य कोई सहायिकी, अनुदान प्रोत्साहन को वित्तीय वर्ष जबिक ऐसी सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय माना जाता है, को लागत से घटा दिया जाएगा।
- (ञ) कोई असामान्य लागत, इसकी सामग्री और मात्रात्मक, कर्मचारी लागत के भाग नहीं होंगे।
- (ट) सांविधिक प्राधिकरणों या अन्य तृतीय पक्ष को भुगतान किया गया शास्ति, क्षतिपूर्ति कर्मचारी लागत शामिल नहीं होंगे।
- (ठ) कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले मुफ्त आवास, मुफ्त परिवहन और इसी तरह के अन्य फायदों की लागत ऐसे फायदों प्रदान करने में उपयक्त सभी स्त्रोतों की कुल लागत पर अवधारित की जाएगी।

- (ड) प्रदान किए गए किसी फायदा सामान्यतया उदाहरण के लिए आवास, के प्रति कर्मचारी से कोई वसूली कर्मचारी लागत से घटा दी जाएगी।
- (ढ़) कर्मचारी लागत के निर्धारण के लिए प्रवृत्त किए गए लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब विधि द्वारा अपेक्षित हो या एक परिवर्तन से एक उपक्रम की लागत विवरण की तैयारी या प्रस्तुति और अधिक उचित हो सके।
- (ण) जहां कर्मचारी सेवाएं एक लागत उद्देश्य से जोड़ा जा सके, वहीं ऐसी कर्मचारी लागत प्रयुक्त समय या कार्यरत कर्मचारियों की संख्या या समरूप अभिज्ञान योग्य उपाय जैसे आधार पर लागत उद्देश्य निश्चित की जाएगी।
- (त) जब कभी एक विशिष्ट कर्मचारी लागत एक भिन्न लागत वस्तु पर प्रभारित है या नहीं, का निर्धारण करते समय तात्विकता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा।
- (थ) जहां कर्मचारी लागत को लागत वस्तु से सीधी प्राप्त नहीं की जा सकती वहां ये समय अध्ययन पर आधारित समय का अनुमान जैसे उपयुक्त आधार पर समनुदेशित की जाएगी।
- (द) इस अवधि के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटाई और सेवा समाप्ति आदि से संबंधित परिशोधित पृथ्क्करण लागत अप्रत्यक्ष लागत मानी जाएगी और एक समुचित रीति में लागत वस्तुओं को समनुदेशित करेगी। परंतु कि बंद परिचालन से संबंधित अपरिशोधित रकम कर्मचारी लागत के रूप में नहीं मानी जाएं।
- (ध) भर्ती लागत, प्रशिक्षण लागत और ऐसी अन्य लागत उपरिव्यय के रूप में मानी जाएगी और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (न) अतिकाल प्रीमियम प्रत्यक्ष रूप से लागत वस्तु को समनुदेशित करेगा या आर्थिक साध्यता तथा ऐसे अतिकाल की अपेक्षा रखने वाली विशेष परिस्थिति पर निर्भर करने वाले शीर्षो के रूप में माना जाएगा।
- 3. उपयोगिताएं (क) विभिन्न लागत केंद्रो पर उत्पादित और उपभुक्त प्रत्येक प्रमुख उपयोगी सेवा जैसे बिजली, पानी, वाष्प, विहःस्राव उपचार और अन्य संबंधित मामले की मात्रा और लागत को इस रीति से दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे जाएगें, जिनमें प्रत्येक उपयोगी सेवा का पृथक विवरण हो।
 - (ख) उपयोगी सेवा के प्रत्येक प्रकार को अलग लागत मद माना जाएगा।
 - (ग) क्रय की गई उपयोगी सेवाओं की लागत का आकलन शुल्कों और करों, परिवहन लागत, बीमा और उपापन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष उत्तरदायी अन्य व्यय (व्यापार कटौती, रीबेट, प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों का निवल रकम) सहित खऱीद की लागत से की जाएगी जो अर्जन के समय तर्कसंगत शुद्धता के साथ परिमेय हो सकता है।
 - (घ) अपने खपत के लिए स्वउत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय और कारखाना उपरिव्यय शामिल होंगे।
 - (ङ) अंतर यूनिट स्थानांतरण के उत्पादित उपयोगी सेवाओं के मामलों में, ऊपर यथा निर्धारित उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसे स्थानांतरण पर हुए वितरण लागत को जोड़ा जाए।
 - (च) अंतर कंपनी स्थानांतरणों के लिए उत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, कारखाना उपरिव्यय , वितरण लागत और प्रशासनिक उपरिव्यय का शेयर शामिल होगा।
 - (छ) बाहरी पक्षकारों को विक्रय के लिए उत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, कारखाना उपरिव्यय , वितरण लागत, प्रशासनिक उपरिव्यय का शेयर और विपणन उपरिव्यय लागत शामिल होंगे। ऐसी उपयोगी सेवाओं के विक्रय मूल्य में अंतर भी शामिल होगा।
 - (ज) उपयोगी सेवाओं के संबंध में उपगत वित्तीय लागत उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग नहीं होगा।
 - (झ) उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसे उपयोगी सेवाओं के वितरण की लागत शामिल होगी। वितरण लागत में खपत बिंदू तक उपयोगी सेवाओं के परिदान की लागत शामिल होगी।
 - (অ) उपयोगी सेवाओं की लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होंगे।

- (ट) जहां उपयोगी सेवाओं की लागत की गणना मानक लागत पर की गई हो वहां उपयोगी सेवाओं से संबंधित मूल्य भिन्नताओं को उपयोग सेवाओं की लागत का भाग माना जाएगा और सामान्य कारणों के कारण उपयोग भिन्नताओं का भाग उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से उपयोग भिन्नताओं को असामान्य लागत का भाग माना जाएगा।
- (ठ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या उपयोगी सेवाओं की किसी लागत के संबंध में प्राप्त या मान्यता प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (ङ) उपयोगी सेवाओं के उत्पादन और वितरण की लागत का निर्धारण सामान्य क्षमता या वास्तविक क्षमता, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाएगी और गैर-आमेलित लागत, यदि कोई हो, को असामान्य लागत माना जाएगा। उद्यत उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसी उपयोगी सेवा के अनुरक्षण की प्रतिबद्ध लागत शामिल होगी।
- (ढ) कोई भौतिक और परिणामयोग्य असामान्य लागत उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग नहीं होगा।
- (ण) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को संदत्त शास्तियां, नुकसानी उपयोगी सेवाओं के लागत का भाग नहीं होगें।
- (त) उपयोगी सेवाओं से संबंधित साख या वसूलियां, बाहरी पक्षों को उपलब्ध कराई गई उपयोगी सेवाओं की लागत सिहत, भौतिक और परिमेय, को उपयोग सेवाओं के निवल लागत की गणना के लिए उपयोगी सेवाओं के कुल लागत में से घटाया जाएगा।
- (थ) उपयोगी सेवाओं की लागत मापने के लिए प्रवृत्त लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत कथनों की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।
- (द) उपयोगी सेवाओं की लागत समनुदेशित करते समय आर्थिक रूप से साध्य रीति से किसी लागत मद की अनुमार्गणीयता निर्देशक सिद्धांत होगा।
- (ध) जबिक उपयोगी सेवाओं की लागत की प्रत्यक्ष अनुमार्गणीयता लागत मद के साथ नहीं हो वहां इसे सर्वाधिक उपयुक्त आधार पर समनुदेशित किया जाएगा।
- (न) सेवाओं का खपत करने वाले विभागों को किसी उपयोगी सेवा के लागत के वितरण का सर्वाधिक उपयुक्त आधार उपयोग मानकों से प्राप्त किया जाए।
- 4. प्रत्यक्ष व्यय (क) प्रत्यक्ष व्यय के संबंध में समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा कि कंपनी संदर्भाधीन माल या सेवाओं के संबंध में इन व्ययों का लागत केंद्र-वार या लागत मद या विभाग-वार अनुरक्षण कर सके और आवश्यक विवरण दे सके।
 - (ख) खरीदे गए स्रोतों के उपयोग के लिए उपगत प्रत्यक्ष व्यय का निर्धारण बीजक या सहमत मूल्य, जिसके अंतर्गत फीस और कर और अन्य व्यय भी हैं, जो व्यापार कटौती, रिबेट, प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों पर आरोप्य है, पर निर्धारित किया जाएगा।
 - (ग) अन्य प्रत्यक्ष व्यय का अवधारण उसके संबंध में उपगत की गई रकम के आधार पर किया जाएगा।
 - (घ) एक मुश्त संदत्त या व्यय किया गया प्रत्यक्ष उपगत या ऐसा प्रत्यक्ष व्यय जो 'एक-कालिक' भुगतान प्रकृति की हो, प्राक्कलित उत्पादन या ऐसे प्रत्यक्ष व्यय से होने वाले फायदा के आधार पर परिशोधित की जाएगी।
 - (ङ) यदि प्रत्यक्ष व्यय का कोई मद भौतिकता परीक्षण पूरा नहीं करता हो तो इसे उपरिव्यय का भाग माना जा सकता है।
 - (च) स्व-उत्पादित या उपाप्त साधनों से संबंधित उपगत वित्तीय लागत प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होगा। प्रत्यक्ष व्यय में अभ्यारोपित व्यय शामिल नहीं होगा।
 - (छ) जहां प्रत्यक्ष व्यय की गणना मानक लागत पर की गई हो वहां सामान्य कारणों के कारण भिन्नताओं को प्रत्यक्ष व्यय का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों के कारण भिन्नताओं को प्रत्यक्ष व्यय का भाग माना जाएगा।

- (ज) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या सीधे व्यय के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (झ) प्रत्यक्ष व्यय का कोई असामान्य भाग कोई भौतिक और परिणाम योग्य प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होगा।
- (ञ) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तीसरे पक्षकार को संदत्त शास्तियां, नुकसानी प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होंगे।
- (ट) निवल रकम प्रत्यक्ष व्यय प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित साख या वसूलियां, भौतिक और परिमेय, घटायी जाएंगी।
- (ठ) प्रत्यक्ष व्यय मापने के लिए प्रवृत्त लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत विवरण की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।
- (ड) ऐसे प्रत्यक्ष व्यय जो लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से अनुमार्गणीय हो उस लागत मद पर समनुदेशित किया जाएगा।
- 5. मरम्मत और अनुरक्षण (क) विभिन्न लागत केन्द्रों या विभागों में कार्यशाला, औजार कक्ष तथा मरम्मत और अनुरक्षण में हुए व्यय को दर्शाने वाला अभिलेख विभिन्न उपरिव्यय के अधीन तैयार किए जाएंगे।
- (ख) मरम्मत और अनुरक्षण लागत मरम्मत और अनुरक्षण कार्यकलाप से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का योग होगा। प्रत्यक्ष लागत में सामग्री की लागत, खपत योग्य भंडार, कल-पुर्जों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्यकलाप में खपत किए गए अन्य पहचान योग्य संसाधनों की लागत शामिल होगी। अप्रत्यक्ष लागत में विभिन्न मरम्मत और अनुरक्षण गतिविधियों जैसे मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग और ऐसे कार्यकलापों में विभाज्य लागतें सामान्य संसाधनों की लागत शामिल होगी।
- (ग) आंतरिक मरम्मत और अनुरक्षण की लागत में सामग्री की लागत, खपत योग्य भंडार, कल-पुर्जों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्यकलाप में खपत किए गए अन्य पहचान योग्य संसाधनों की लागत शामिल होगी।
- (घ) बाहरी संविदाकारों द्वारा निकाय के अंदर किए गए मरम्मत और अनुरक्षण कार्यकलाप की लागत में सामग्री की लागत, खपत योग्य भंडार, कल-पुर्जों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्य के लिए निकाय द्वारा ऐसे कार्यों के लिए वहन की गई अन्य लागत शामिल होगी।
- (ङ) बाहरी संविदाकार द्वारा उसके परिसर में किए गए मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की लागत का निर्धारण बीजक या सहमत मूल्य, शुल्कों और करों और उसके फलस्वरूप हुए अन्य व्यय सहित, जो व्यापार कटौती (नकद कटौती को छोड़कर), प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों के निवल रकम के बराबर हो, के आधार पर किया जाएगा। इस लागत में संविदाकारों को अन्य संसाधन के लिए प्रदत्त लागत भी सम्मिलित है।
- (च) बाहरी संविदाकारों द्वारा किए गए मरम्मत और अनुरक्षण कार्य की लागत में संविदाकार द्वारा लगाया गया फीस और उसकी सामग्री की लागत, खपत योग्य भंडार, कल-पूर्जों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्य के लिए वहन की गई अन्य लागत शामिल होगी।
- (छ) प्रत्येक प्रकार के मरम्मत और अनुरक्षण को अलग सुभिन्न कार्यकलाप माना जाएगा, यदि वह भौतिक और पहचान योग्य हो।
- (ज) मरम्मत और अनुरक्षण कार्यकलाप की लागत का मापन प्रत्येक प्रमुख आस्ति प्रवर्ग के लिए अलग से किया जाएगा।
- (झ) बदले गए पूर्जों की लागत जिन्हें परे विद्यमान आस्ति से भावी आर्थिक फायदा वृद्धि नहीं करती है, मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अधीन निष्पादन के पूर्व मानक पूर्व निर्धारण सम्मिलित किया जाएगा।
- (স) प्रमुख ओवरहाल की लागत तर्कसंगत आधार पर क्रमिक रूप से परिशोधित की जाएगी।
- (ट) मरम्मत और अनुरक्षण कार्यकलापों पर वहन की गई वित्तीय लागत मरम्मत और अनुरक्षण लागत का भाग नहीं होगी।
- (ठ) मरम्मत और अनुरक्षण लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (ड) जहां मरम्मत और अनुरक्षण की लागत से संबंधित मूल्य भिन्नताएं, जहां मानक लागत उपयोग में हो, को जहां मरम्मत और अनुरक्षण लागत का भाग माना जाएगा। सामान्य कारणों के कारण उपयोग भिन्नताओं का भाग जहां मरम्मत और

अनुरक्षण लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से उपयोग भिन्नताओं को मरम्मत और अनुरक्षण लागत का भाग नहीं माना जाएगा।

- (ढ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या मरम्मत और अनुरक्षण के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (ण) किसी असामान्य परिस्थितियां, अर्थात्, भयंकर आगजनी, विस्फोट, बाढ़ और अन्य घटनाओं, भौतिक और परिमेय, के परिणामस्वरूप कोई मरम्मत और अनुरक्षण लागत, मरम्मत और अनुरक्षण लागत का भाग नहीं होगा।
- (त) कानूनी प्राधिकारियों और अन्य तीसरे पक्षों को संदत्त जुर्माने, शास्तियां, क्षतिपूर्ति और अन्य समान उद्ग्रहण मरम्मत और अनुरक्षण लागत का भाग नहीं होंगे।
- (थ) मरम्मत और अनुरक्षण कार्यकलाप से संबंधित साख या वसूलियां, भौतिक और परिमेय, निवल मरम्मत और अनुरक्षण लागत प्राप्त करने हेत् घटाए जाएंगे।
- (द) मरम्मत और अनुरक्षण लागत के मापन के लिए लघु लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत विवरण की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।
- (ध) मरम्मत और अनुरक्षण लागत आर्थिक रूप से साध्य सीमा तक लागत मद पर अनुरेखित की जाएगी।
- (न) जहां मरम्मत और अनुरक्षण लागत, लागत मद पर प्रत्यक्ष रूप से अनुरेखित नहीं हो वहां इसे निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत पर समनुदेशित किया जाएगा (1) कारण और प्रभाव – कारण प्रकिया या प्रचालन या कार्यकलाप है और प्रभाव लागत का वहन है तथा (2) प्राप्त फायदा – उपरिव्यय को उनके द्वारा प्राप्त फायदा के अनुपात में विभिन्न लागत मदों में प्रभाजित किया जाएगा।
- (प) यदि मरम्मत और अनुरक्षण लागत (जिसके अंतर्गत सेवाओं के व्यतिकारी विनिमय की लागत का भाग भी है) कई लागत मदों द्वारा साझा की जाती है, तो संबंधित लागत का मापन सकल रूप में किया जाएगा और लागत मदों के मध्य संवितरित किया जाएगा।
- 6. समनुदेशित आस्तियां और अवक्षयण (क) समनुदेशित वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता जिनके संबंध में अवक्षयण या परिशोधन का उपबंध किया जाना है, के लिए प्रयुक्त आस्तियों हेतु समुचित और पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगे। इन अभिलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु या सेवा के अधीन आस्तियों का समूहीकरण, स्थापना फीस, अर्जन की तारीख और अवक्षयण की दर सहित प्रत्येक आस्ति के अर्जन की लागत दर्शायी जाएगी।
- (ख) अवक्षयण और परिशोधन वह रकम होगी जिसे वित्तीय कथनों में वर्ष के लिए व्यय माना जाएगा, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में निहित उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त लेखाकंन मानकों के अनुसार आकलित किया जाएगा। वित्तीय कथनों में शामिल न की गई अवक्षयण और परिशोधन की रकम को गैर-लागत मद माना जाएगा।
- (ग) किसी आस्ति जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से अस्थाई रूप से निवृत्त हो गई है, का अवशयण उस अविध के लिए जबिक वह आस्ति प्रयोग में नहीं है, असामान्य लागत माना जाएगा।
- (घ) आस्तियों की शक्ति को उत्पादन/सेवाओं की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ङ) अतिरिक्त पुर्जे, फालतू उपकरण और सर्विसिंग उपकरण यदि वे संपत्ति, संयत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण माना जाएगा। अन्यथा ऐसी मदों को वस्तु सूची में वर्गीकृत किया जाएग।
- (च) जहां तक आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, अवक्षयण को लागत वस्तु में शामिल किया जाएगा।
- (छ) जहां अवशयण लागत वस्तु में प्रत्यक्ष शामिल न हो, उसे निम्नलिखित दो सिद्धांतों के आधार पर किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा ; अर्थात् :
- (i) कारण और प्रभाव कारण एक प्रक्रिया या परिचालन या कार्यकलाप है और प्रभाव लागत होना है। और
- (ii) प्राप्त फायदा उपरिव्यय को विभिन्न लागत वस्तुओं के अनुपात में उनके द्वारा प्राप्त फायदों में रखा जाएगा।

- 7. **उपरिव्यय :** (क) समनुदेशित वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित उपरिव्यय सहित अप्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन व्ययों का कार्यों जैसे विश्लेषण, वर्गीकृत और समूहीकरण किया जाएगा।
- (ख) स्त्रोतों की प्राप्ति को दर्शाने वाले उपरिव्यय का अवधारण शुल्कों और करों तथा उस पर छूटों के योग, अन्य व्यय के प्रत्यक्ष आरोप्य, वापस लौटाने (नगद कटौती से भिन्न) या जमा किए जाने वाले करों व शुल्कों सहित बिल या सहमत मूल्य पर किया जाएगा।
- (ग) उपर्युक्त के अलावा उपरिव्यय का निर्धारण उसके संबंध में आयी लागत के आधार पर अवधारित किया जाएगा।
- (घ) कोई असामान्य लागत जहां यह भौतिक और परिमेय हो, उपरिव्यय का भाग नहीं होगी।
- (ड.) प्राप्त या स्वयं उत्पन्न स्त्रोतों के संबंध में आयी वित्तीय लागत उपरिव्यय का भाग नहीं होगी।
- (च) उपरिव्यय में आरोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (छ) सामान्य कारणों को आरोप्य उपरिव्यय विभिन्नताएं उपरिव्यय का भाग नहीं माना जाएगा। असामान्य कारणों को आरोप्य उपरिव्यय विभिन्नताएं, उपरिव्यय से परे होगी।
- (ज) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या उपिरव्यय के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (झ) कानूनी प्राधिकारी या अन्य तृतीय पक्षकारों को चुकाया गया शास्ति, दंड, हानि और ऐसे कर उपरिव्यय का भाग नहीं होंगे।
- (ञ) उपिरव्यय से संबंधित जमा या पुनः प्राप्तियां, भौतिक रूप में औऱ पिरमेय कुल उपिरव्यय को जानने के लिए कुल उपिरव्यय से घटा दिए जाएंगे। जहां पुनः प्राप्ति कुल उपिरव्यय से अधिक होती है, वहीं शेष पुनः प्राप्ति अन्य आय के रूप में मानी जाएगी।
- (ट) उपरिव्यय को नापने के लिए प्रवृत्त लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा, यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या एक निकाय को लागत विवरणों को तैयार या प्रस्तुत करने में और अधिक समुचित हो।
- (ठ) उपरिव्यय को निर्धारित करते समय एक आर्थिक रूप से सुगम ढंग में लागत मद को जानने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। ऐसी लागत, जो लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सके, को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित किया जाएगा।
- (ड) उपरिव्यय को काम जैसे कि कार्यों, प्रशासन, विक्रय और वितरण, मुख्य कार्यालय, कारपोरेट आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ढ़) लागत मदों के उपिरव्यय का आबंटन निम्नलिखित दो में से एक पर आधारित होगा; (1) कारण और प्रभाव-कारण, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली या गतिविधि है और प्रभाव लागत का व्यय है और (2) प्राप्त फायदा- उपिरव्यय का विभाजन उनके द्वारा प्राप्त फायदों के अनुपात में विभिन्न लागत मदों में किया जाना है।
- (ण) परिवर्तनीय उत्पादन उपरिव्यय वास्तविक क्षमता उपयोग पर आधारित उत्पादों या सेवाओं में पूर्ण रूप से नियुक्त किया जाएगा।
- (त) समनुदेशित उत्पादन उपरिव्यय सामान्य क्षमता के आधार पर किए जाएंगे।
- (थ) प्रशासनिक उपरिव्यय का समनुदेशन पैरा संख्या 8 के अनुसार किया जाएगा।
- (द) विपणन उपरिव्यय जिनका एक उत्पाद या सेवा से पहचाना जा सकता है, उस उत्पाद या सेवा से निर्धारित किए जाएंगे।
- (ध) विपणन उपरिव्यय, जो एक उत्पाद या सेवा से पहचान नहीं लगाए जा सकते, का सबसे उचित आधार पर उत्पादों या सेवाओं से निर्धारण किया जाएगा।
- 8. **प्रशासनिक उपरिव्यय**—(क) प्रशासनिक उपरिव्यय किसी संगठन के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित क्रियाकलापों में प्रयुक्त स्त्रोतों की कुल लागत होंगे।

- (ख) पट्टे पर ली गई आस्तियों की दशा में, यदि पट्टा एक परिचालन पट्टा है तो संपूर्ण किराया प्रशासनिक उपरिव्यय में शामिल किया जाएगा। यदि पट्टा एक वित्तीय पट्टा है तो, वित्तीय लागत हिस्सा, अलग रखा जाएगा और वित्तीय लागतों का भाग माना जाएगा।
- (ग) सॉफ्टवेयर की लागत (कारखाने में विकसित किया गया, खरीदा हुआ, या अनुज्ञण्तिधारी या विशिष्ट रूप से निर्मित) उन्नयन लागत सहित, इसके अनुमानित उपयोग काल में चुकायी जाएगी।
- (घ) बाहर से उपाप्त प्रशासनिक सेवाओं की लागत का अवधारण, शुल्कों और करों तथा कटौती (नगद कटौती से भिन्न) के योग उनके अन्य व्यय के प्रत्यक्ष आरोप्य, वापस लौटाने या जमा किए जाने वाले करों व शुल्कों सिहत बिल या सहमति मूल्य पर किया जाएगा।
- (ङ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या प्रशासनिक उपरिव्यय के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (च) सांविधिक प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्षकार को दिए जाने वाला शास्ति, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की वसूली, प्रशासनिक उपरिव्यय का भाग नहीं होगी।
- (छ) प्रशासनिक उपरिव्यय में असामान्य प्रशासनिक लागत सम्मिलित नहीं होगा।
- (ज) प्रशासनिक उपिरव्यय की गणना के लिए प्रवृत्त लागत लेखाविधि सिद्धातों में कोई पिरवर्तन तभी किया जाना चाहिए यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या उस पिरवर्तन से किसी संगठन के लागत विवरणों को अधिक समुचित ढंग से तैयार या प्रस्तुत करने में पिरिणित हो।
- (झ) प्रशासनिक उपरिव्यय निर्धारित करते समय आर्थिक रूप से व्यवहार्य ढंग से लागत मद का पता लगाना मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।
- (ञ) लागत मदों के लिए प्रशासनिक उपरिव्यय निम्नलिखित दो में से एक सिद्धांतो में से किसी एक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अर्थात्, (i) कारण और प्रभाव – प्रक्रिया या परिचालन या कार्यकलाप का कारण और लागत प्रभाव है। (ii) प्राप्त फायदा – विभिन्न लागत मदों के लिए उनसे प्राप्त फायदा के अनुपात में व्यय विभाजित किया जाए।
- 9. परिवहन लागत (क) परिवहन की वास्तविक लागत अभिलेख करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें भाड़ा, ढुलाई, परिवहन बीमा और अन्य व्यय का प्रत्येक घटक, परिवहन लागत की वसूली हेतू समायोजन के बाद दर्शाया जाएगा। परिवहन से संबंधित असामान्य लागत, यदि कोई हो तो पहचान की जाए और औसत परिवहन लागत की गणना से निकालते हुए अभिलिखित की जाएं।
- (ख) यदि विनिर्माता के पास अपने वाहन हो तो वाहनों की वास्तविक परिचालन लागत निर्धारित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें लागत की विभिन्न मदों जैसे ड्राईवर, क्लीनर और अन्य के वेतन और मजदूरी, ईंधन, स्नेहक, ग्रीस की लागत, टायर और बैटरी की परिशोधित लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण, वाहनों का अवमूल्यन, तय की गई दूरी और आना-जाना, डिपो में लाए गए और ले जाए गए सामान का ब्यौरा दिया जाए।
- (ग) किराया प्रभार के मामले में सामान भेजने पर हुए व्यय के पूरे ब्यौरें दर्ज किए जाएंगे, जैसे भेजने की तारीख, प्रयोग किए गए वाहन का प्रकार, वस्तुओं का विवरण, खरीददार का पता, परेषिती का नाम, चालान संख्या, वस्तुओं का भार या मात्रा, अन्तविलित दूरी, भुगतान की गई रकम और अन्य संबंधित मामले, अभिलिखित।
- (घ) भेजे गए सामान के विस्तृत ब्यौरे, प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता का नाम, भाड़े की रकम आदि के विवरण देते हुए सामान आने और जाने की अलग-अलग परिवहन लागत के अभिलेख रखे जाएंगे।
- (ङ) घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए हटाए गए/विक्रय माल के बाहर गए की लागत (प्राप्ति) लाने और वस्तुएं बाहर ले जाने की परिवहन लागत की पहचान के लिए अलग-अलग अभिलेख रखे जाएंगे।
- (च) कारखाना से डिपो और उसके बाद की परिवहन लागत के लिए अभिलेख अलग से रखे जाएंगे।
- (छ) किसी सामग्री या उत्पाद को ठेका कार्यस्थान पर ले जाने और वापस लाने की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे ताकि इसे उत्पाद के संव्यवहार मृल्य में शामिल किया जा सके।

- (ज) केवल व्यापार कार्यकलापों के लिए उत्पादित माल की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे और इन्हें घरेलू खपत के लिए उत्पाद फीस योग्य सामान का मूल्य निकालने के लिए किसी कटौती के दावे में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (झ) उत्पादों की किसी विशिष्ट श्रेणी को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित की जाने वाली परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएगा ताकि समनुदेशितन किया जा सके।
- (ञ) अपने वाहन या किराए के वाहन दोनों के लिए एक समान परिवहन लागत के लिए विभाजन के आधार पर समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।
- (ट) कटौती प्राप्त माल, उत्पाद फीस योग्य वस्तुओं जिन्हें निर्यात के लिए रखा गया है, की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे।
- (ठ) सड़क से भिन्न अन्य वाहनों जैसे पोत, हवाई जहाज और अन्य संबंधित मामले के लिए लागत के अलग अभिलेख रखे जाएंगे जिन्हें परिवहन की कुल लागत में सम्मिलित किया जाएगा।
- (ड) अंतर्वाही परिवहन लागत सामग्री प्राप्ति लागत का भाग होगी जिसकी पहचान सामग्री या उत्पादों के समुचित समनुदेशितन या विभाजन के लिए किया जाएगा।
- (ढ) बहिर्गामी परिवहन लागत विक्रय लागत का भाग होगी और उपयुक्त आधार पर सामग्रियों और वस्तुओं के लिए समनुदेशित या विभाजित की जाएगी।
- (ण) उत्पादों के प्रकृति, मापन की इकाई और प्रयोग किए गए परिवहन के प्रकार के आधार पर बहिर्गामी परिवहन लागत के विभाजन के लिए पूर्वीकता के क्रम में निम्नलिखित आधार का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (i) भार
 - (ii) माल की मात्रा
 - (iii) टन-किलोमीटर
 - (iv) इकाई या समकक्ष इकाई
 - (v) माल का मूल्य
 - (vi) स्थान के उपयोग की प्रतिशतता
- (त) विभाजन का आधार ग्रहण के पश्चातु उसका निरंतरता से अनुपालन किया जाएगा।
- (थ) प्रति इकाई परिवहन लागत अवधारण करने के लिए भारित औसत लागत की गणना में दूरी का गुणक निकाला जाए।
- (द) असामान्य और गैर आवर्ती लागत परिवहन लागत का भाग नहीं होगी।
- 10. **रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी** (क) सहयोगियों या प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के सदर्भ में रॉयल्टी तथा या तकनीकी जानकारी फीस जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के लिए अन्य आवर्ती या इसी प्रकार के गैर आवर्ती भुगतान फीस सम्मिलित है, दर्शाने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।
- (ख) एकमुश्त या 'एक बार' भुगतान के रूप में दिए गए या किए गए रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस को संबंधित परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले फायदा या प्राक्कलित परिणामों के आधार पर परिशोधन किया जाएगा। वर्तमान या भविष्य में होने वाले फायदा के लिए दी गई रॉयल्टी या तकनीकी जानकारी फीस की रकम का परिशोधन उस अवधि, जिसके लिए निकाय को परिसंपत्ति का फायदा मिलने की आशा है, के लिए अनुमानित उत्पादन या सेवा के आधार पर निर्धारित किया जाएं।
- (ग) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस की रकम में वित्त लागत आरोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (घ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।

- (ङ) कानूनी प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्षकारों को दिए जाने वाला जुर्माना, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की वसूली रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस का भाग नहीं होगी।
- (च) निवल रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस निर्धारित करने के लिए भौतिक और गणना योग्य, किसी पर ध्यान दिए बिना रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस से संबंधित ऋण या वसूलियां घटाई जाएंगी।
- (छ) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस की गणना के लिए प्रवृत्त लागत लेखाविधि सिद्धातों में कोई परिवर्तन तभी किया जाए जबकि यह विधि द्वारा अपेक्षित हो या उस परिवर्तन से संगठन के लागत विवरण अधिक बेहतर ढंग से तैयार या प्रस्तुत करने में मदद मिले।
- (ज) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस जो लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित है, लागत मद को सौंपा जाएगा। यदि ऐसी फीस लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित न हो तो यह निम्नलिखित से एक आधार पर सौंपा जा सकता है, अर्थात :-
 - (i) उत्पादित इकाई
 - (ii) बेची गई इकाईयां
 - (iii) विक्रय मूल्य
- (झ) खनन अधिकारों के लिए दिए जाने वाले रॉयल्टी फीस की रकम सामग्री की लागत में शामिल होगी।
- (ञ) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस इस फीस की प्रकृति या प्रयोजन पर आधारित होगी। उत्पाद या प्रक्रिया की रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी फीस की रकम उत्पादन की लागत मानी जाएगी; यदि यह ट्रेडमार्क या ब्रांड से संबंधित है तो इसे विक्रय की लागत माना जाएगा।
- 11. अनुसंधान एवं विकास व्यय (क) अनुसंधान और विकास लागत में वह सभी लागत शामिल होगी जो अनुसंधान या विकास कार्यकलापों से प्रत्यक्ष संबंधित है (क) कारण एवं प्रभाव (ख) प्राप्त फायदों के आधार पर केवल अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सौंपी जा सकती है। इस लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, अर्थातु:-
 - (i) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में प्रयुक्त सामग्री और सेवाओं की लागत;
 - (ii) सम्मत मूल्य पर खरीदी गई सामग्रियों और किराए पर ली गई सेवाओं की लागत जिसमें व्यापार कटौती, कटौती, वापस करने योग्य या जमा कराए जाने वाले कर और फीस शामिल है।
 - (iii) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में लगे कार्मिकों के वेतन, मजदूरी और अन्य संबंधित व्यय;
 - (iv) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त उपस्कर और सुविधाओँ तथा अन्य मूर्त परिसंपत्तियों का अवमूल्यन और अमूर्त परिसंपत्तियो का परिशोधन।
 - (v) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों से संबंधित उपरिव्यय जिसमें सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं है।
 - (vi) अस्तित्वों और अस्तित्व को प्रमाणित द्वारा अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए उपगत व्यय।
 - (vii) कापीराइट या अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में किया गया व्यय।
 - (viii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए किया गया व्यय।
 - (ix) उपस्कर, जिग्स, मोल्ड और डॉई तैयार करने के लिए किया गया व्यय।
 - (x) अन्य लागत जिसे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों से प्रत्यक्ष संबंधित किया जा सके और जिसकी विशेष परियोजनाओं के साथ पहचान हो सकें।
- (ख) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या अनुसंधान और विकास के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (ग) अनुसंधान और विकास लागत में कोई असामान्य लागत शामिल नहीं होगी।

- (घ) कानूनी प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्षकारों को दिए जाने वाला जुर्माना, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की उद्गृहीत अनुसंधान और विकास व्यय का भाग नहीं होगी।
- (ङ) अनुसंधान और विकास व्यय में आरोपित व्यय शामिल नहीं होगा।
- (च) निवल अनुसंधान और विकास व्यय निर्धारित करने के लिए भौतिक और गणना योग्य, किसी पर ध्यान दिए बिना अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित ऋण या वसूलियां घटाई जाएंगी।
- (छ) किसी विशेष लागत मद के लिए किया गया अनुसंधान और विकास व्यय उस लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित होगा। अनुसंधान और विकास व्यय जो विशेष उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित न हो, उत्पाद व्यय का भाग नहीं होगा।
- (ज) किसी अमूर्त परिसंपत्ति के सृजन में किए गए विकास व्यय का परिशोधन उसके उपयोगी जीवन में किया जाएगा। विकास व्यय "प्राप्त फायदों" के सिद्धांत पर आधारित होगा।
- (झ) वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद के विकास और सुधार के लिए किए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय को उत्पादन की लागत में शामिल किया जाएगा। यदि अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद में सुधार से संबंधित है जो एक लेखांकन अविध से अधिक समय के लिए जारी रहता है तो उसकी लागत संशोधित प्रक्रिया के प्रयोग की अनुमानित अविध या संशोधित उत्पाद के प्रयोग की अनुमानित अविध या संशोधित उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् संस्था द्वारा उत्पादन किया जाएगा, के दौरान और यदि संशोधित प्रक्रिया या उत्पाद वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद से अन्यथा है और उस उत्पाद को एक नए उत्पाद के रूप में लाया जा रहा है तो जैसा भी मामला हो, संचित और परिशोधित की जाएगी। एक अविध के लिए नियत राशि उस अविध के लिए उत्पादन की लागत में शामिल होगी। यदि यह व्यय वर्तमान उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए या नगण्य संशोधन करने के लिए किया जा रहा है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।
- (ञ) विक्रय योग्य सेवा अर्थात्, बाहरी पक्षों को तकनीकी जानकारी देने पर किया जाने वाला विकास व्यय अलग से रखा जाएगा और इसे सेवा उपलब्ध कराने की लागत माना जाएगा।
- 12. गुणवत्ता नियंत्रण व्यय (क) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग या संदर्भाधीन माल या सेवाओं के लिए लागत केन्द्र या सेवा केन्द्र के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखें जाएंगे। यदि इन सेवाओं का कंपनी के अन्य माल या सेवाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है तो संदर्भाधीन माल या सेवाओं तथा अन्य माल या सेवाओं के विभाजन का आधार साम्य और युक्ति युक्त होगा तथा निरंतर लागू होगा।
- (ख) अंत:-स्थापन गुणवत्ता नियंत्रण लागत में संशोधन के गुणवत्ता नियंत्रण कार्यकलापों में उपभुक्त संसाधनों की लागत शामिल होगी। बाहरी स्रोतों से प्राप्त संसाधनों की लागत शुल्कों और करों, तथा प्रत्यक्षत: उसके कारण अन्य व्यय, शुद्ध छूट (नकद छूट से अन्यथा), कर प्राधिकारियों द्वारा प्रतिदेय या जमा किए जाने वाले करों और शुल्कों सहित बीजक या सम्मत मूल्य पर अवधारित की जाएगी। ऐसी लागत में गुणवत्ता अनुरूपता लागत अर्थात्, (क) निवारक लागत; और (ख) मूल्यांकन लागत शामिल होगी।
- (ग) गृणवत्ता नियंत्रण लागत की पहचान आर्थिक रूप से साध्य रीति से की जाएगी।
- (घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य गुणवत्ता नियंत्रण लागत उससे संबंधित व्यय की गई राशि के आधार पर अवधारित की जाएगी।
- (ड.) स्वसृजित या उपाप्त संसाधनों के संबंध में उपागत वित्त व्यय गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होगा।
- (च) गुणवत्ता नियंत्रण व्यय में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (छ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या गुणवत्ता नियंत्रण लागत के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (ज) गुणवत्ता नियंत्रण लागत का कोई असामान्य अंश, जो तात्विक तथा परिमाण योग्य है, गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होगा।
- (झ) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षों को संदत्त शक्तियां, नुकसानी गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होंगी।

- (ञ) गुणवत्ता नियंत्रण लागत के मापन के लिए प्रवृत्त लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब यह विधि द्वारा अपेक्षित हो या परिवर्तन के परिणामस्वरूप संगठन की लागत विवरणियों को अधिक समुचित रूप से तैयार या प्रस्तुत किया जाता हो।
- (ट) लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण लागत उस लागत मद को सौंपी जाएंगी। लागत मदों का गुणवत्ता नियंत्रण व्यय इन सिद्धांतों पर उन्हें प्राप्त फायदों पर आधारित होगा (i) कारण और परिणाम कारण प्रक्रिया या परिचालन या कार्यकलाप है और परिणाम व्यय उपगत करना है और (ii) प्राप्त प्रसुविधाएं विभिन्न लागत मदों को विभाजित खर्च उनसे प्राप्त होने वाले प्रसुविधाओं के अनुपात में होंगे।
- 13. प्रदूषण नियंत्रण व्यय (क) प्रदूषण नियंत्रण के संबध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगें। संदर्भाधीन माल या सेवाओं तथा अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विभाजन का आधार साम्य और युक्ति युक्त होगा तथा निरंतर प्रवृत्त होगा।
- (ख) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग प्रदूषण नियंत्रण लागतें होंगीं। प्रत्यक्ष लागत में सामग्री, उभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति उपस्कर प्रयोग, उपयोगिताएं, परीक्षण और प्रमाणन के लिए संसाधन तथा ऐसे कार्यकलापों जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण, निपटान, उपचारी एवं अन्य में उपयुक्त पहचान योग्य संसाधन शामिल होंगे। अप्रत्यक्ष लागत में उन स्रोतों की लागतें शामिल होंगी जो विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण रजिस्ट्रीकरण और ऐसे खर्चे हैं, जो सामान्य हैं।
- (ग) प्रदूषण नियंत्रण की लागतें, जो निकाय में आंतरिक है, का लेखा रखा जाना चाहिए, जब उस पर खर्च किया जाए। उनका मापन संसाधनों के खपत की ऐतिहासिक लागत के द्वारा किया जाना चाहिए।
- (घ) भविष्य उपचारी या निपटान लागतें, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय द्रभर संविदा या आन्वयिक बाध्यता के भाग के रूप में युक्तियुक्त निश्चितता सहित उपगत की जानी चाहिए, प्रत्याशित हैं, का प्राकलन और गणना प्रत्येक अवधि में किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा पर आधारित होगा और उपचारी और भविष्य में निपटान की सहयुक्त लागत पर आधारित होगा।
- (ङ) आकस्मिक भविष्य उपचारी या निपटान लागतें, यथा वे लागतें जो भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण में विधायी बदलाव के कारण उत्पन्न होंगीं, को लागत नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी लागतें युक्तियुक्त रूप से निश्चित न हो जाएं और जिन्हें मापा जा सके।
- (च) प्रदूषण की बाह्य लागतें जो सामान्यत: बाह्य पक्षकारों पर, जिसमें सामाजिक लागतें शामिल हैं, लगाई जाती हैं, उनका आंकलन युक्ति युक्त शुद्धता के साथ करना मुश्किल है, को सामान्य प्रयोजन से लागत विवरणों से बाहर रखा जाता है।
- (छ) प्रदूषण की सामाजिक लागतों को लागत माप के आर्थिक मॉडलों द्वारा मापा जाता है। लागत जो कि प्रदूषण फैलाने वाले निकाय द्वारा प्रतिपूरक के रूप में चाहे वह भविष्य में विधायन के अंतर्गत या सामाजिक दबाव के अंतर्गत हो, को लागत माप के परंपरागत मॉडलों के द्वारा मात्रा की गणना नहीं की जा सकती। वे सामान्य उद्देश्य लागत विवरणों से बाहर रखे जाते हैं।
- (ज) आंतिरक प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि की लागत में सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य स्रोत जो ऐसी गतिविधियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, शामिल हैं।
- (झ) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि की लागत जो बाहरी ठेकेदारों द्वारा निकाय में चलाई जाती हैं, में खर्चें जो कि ठेकेदार को संदाय किए जाते हैं और सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य स्रोत जो ऐसी गतिविधियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, शामिल हैं।
- (ञ) प्रदूषण नियंत्रण कार्य जो कि ठेकेदार द्वारा उनके परिसरों पर किए जाते हैं की लागत का निर्धारण बीजक या सहमित मूल्य जिसमें फीस और कर शामिल हैं तथा अन्य खर्चे जो कि सीधे उन पर बट्टे (लागत बट्टे से भिन्न), कर और फीस जो प्रतिदेय या जिनको जमा किया जाएगा, के द्वारा किया जाएगा। लागत में अन्य स्रोतों की लागतें भी शामिल होंगी जो ठेकेदारों को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (ट) बाहरी ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की लागत में ठेकेदार द्वारा अदा किए गए फीस और स्वयं की सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य लागतें जो ऐसे कार्यों में प्रयुक्त हुईं, शामिल हैं।

- (ठ) प्रत्येक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण अर्थात, जल, वायु, मृदा प्रदूषण को एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में माना जाएगा, यदि उसकी पहचान तथा गणना की जा सके।
- (ङ) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के संबंध में उपगत वित्तीय लागतों को प्रदूषण नियंत्रण लागतों का भाग नहीं माना जाएगा।
- (ढ) प्रदूषण नियंत्रण लागतों में अभ्यारोपित लागतें शामिल नहीं होंगीं।
- (ण) प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित लागत विचलन, जहां मानक लागतें प्रयोग में हैं, को प्रदूषण नियंत्रण के लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो कि सामान्य कारणों से है के भाग को प्रदूषण नियंत्रण के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो असामान्य कारणों के कारण हैं को प्रदूषण नियंत्रण लागत से बाहर रखा जाएगा।
- (त) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (थ) कोई प्रदूषण नियंत्रण लागत जो असामान्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप है यदि तात्विक या परिमाण योग्य है, तो वह प्रदूषण नियंत्रण लागत का भाग नहीं होगी।
- (द) जुर्माना, शास्ति, नुकसानी और समान उगाहियां, जो कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को संदत्त की गई हैं वह प्रदूषण नियंत्रण लागत का भाग नहीं होंगीं।
- (ध) क्रेडिट या वसूलियां जो प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित हैं, तात्विक या परिमाण योग्य हैं, को निबल प्रदूषण नियंत्रण लागत की गणना करते समय घटाया जाएगा।
- (न) अनुसंधान और विकास लागतें जिससे नई प्रक्रियाएं विकिसत की जा सकें, नए उत्पादों या नई सामग्री के प्रयोग जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके या अनदेखी की जा सके, को अनुसंधान और विकास लागतों के रूप में माना जाएगा और उसकी गणना प्रदूषण नियंत्रण लागतों में नहीं की जाएगी। ऐसे उत्पाद, प्रक्रिया या सामग्री के वाणिज्यिक विकास हेतु उपगत विकास व्यय प्रदूषण नियंत्रण व्यय में शामिल नहीं होंगी।
- (प) प्रदूषण नियंत्रण लागत के माप में प्रयुक्त लागत गणना सिद्धांतों में कोई बदलाव तभी किया जाएगा यदि वह विधि के द्वारा अपेक्षित हो या परिवर्तन के परिणामस्वरूप और अधिक उचित रूप से किसी संगठन लागत विवरणों को तैयार करने या प्रस्तुतीकरण में सहायक हो।
- (फ) प्रदूषण नियंत्रण लागतों को आर्थिक रूप से साध्य लागत के रूप में बनाया जाएगा।
- (ब) प्रदूषण नियंत्रण की प्रत्यक्ष लागतें जैसे अपिशष्ट का शोधन और निपटान को उत्पाद के रूप में माना जाएगा जो कि आर्थिक रूप से अनुरेखीय है।
- (भ) जहां पर ऐसी लागतें सीधे तौर पर उत्पाद से अनुरेखीय नहीं हैं परंतु उस प्रक्रिया से अनुरेखीय हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, लागतों को उन उत्पादों के साथ समनुदेशित किया जाएगा जो कि उत्पाद के द्वारा पैदा किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा के आधार पर प्रक्रियाधीन हैं।
- (म) जहां प्रदूषण नियंत्रण लागतें सीधे रूप से लागत वस्तु में अनुरेखीय नहीं है, उसे उपिरव्यय माना जाएगा और निम्निलिखित दो सिद्धांतों में से किसी पर समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात्, (i) कारण और प्रभाव- कारण एक प्रक्रिया या प्रचालन या गतिविधि है और प्रभाव लागत का उपगत होना है; और (ii) प्राप्त फायदा- उपिरव्यय को विभिन्न लागत मदों में उनके द्वारा प्राप्त फायदों के अनुपात में बांटा जाएगा।
- 14. सेवा विभाग व्यय (क) सेवा विभागों के संबंध में उचित अभिलेख रखे जाएंगे अर्थात्, लागत केंद्र जो मूल रूप से उपक्रम के चारों ओर अनुषंगी सेवाएं प्रदान करते हैं, खर्च जो कि प्रत्येक ऐसे सेवा लागत सेंटर जैसे इंजीनियरिंग, कार्यशाला, डिजाइन, लैब, सुरक्षा, परिवहन, कंप्यूटर इकाई, कल्याण और अन्य संबंधित मामले प्रत्येक सेवा लागत केन्द्र के व्यय को दर्शाने वाले अभिलेख तैयार किए जाएंगे।
- (ख) प्रत्येक पहचान योग्य सेवा लागत केंद्र को एक विशिष्ट लागत वस्तु के रूप में सेवाओं की लागत के मापन के रूप में माना जाएगा बशर्तें वह तात्विकता के सिद्धांत पर हो।

- (ग) सेवा लागत केंद्र की लागत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कि सेवाओं से संबंधित है जो ऐसी लागत केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का योग है।
- (घ) आंतिरक सेवाओं की लागत में सामग्री, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिता और अन्य स्रोत जो ऐसी सेवाओं में प्रयुक्त हुए हैं की लागत शामिल है।
- (ङ) अन्य संसाधन की लागतों में संबंधित उपरिव्यय शामिल हैं।
- (च) ठेकेदारों द्वारा निकाय के परिसर के भीतर दी जाने वाली सेवाओं की लागत में ठेकेदार को अदा किए जाने वाले फीस और सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिता एवं अन्य स्रोत जो ठेकेदारों को ऐसी सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, शामिल हैं।
- (छ) ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं की लागत बीजक या सहमित मूल्य जिसमें फीस और कर शामिल हैं तथा अन्य खर्चे जो कि सीधे उन पर बट्टे (लागत बट्टे से भिन्न), कर और फीस जो प्रतिदाय या जिनको जोड़ा जाएगा, के द्वारा किया जाएगा। लागत में अन्य स्रोतों की लागतें भी शामिल होंगी जो ठेकेदारों को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (ज) अंतर इकाई हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु सेवाओं की लागत में वितरण लागतें भी शामिल होंगी जो ऐसे हस्तांतरणों में खर्च की गई।
- (झ) अंतर कंपनी हस्तांतरण के उद्देश्य से सेवाओं की लागत में वितरण लागत भी शामिल होगी जो ऐसे हस्तांतरणों एवं प्रशासनिक उपरिव्यय हेतु अदा की गई।
- (ञ) बाहरी पक्षकारों को प्रदान की गई सेवाओं की लागत में वितरण लागत जो ऐसे हस्तांतरण, प्रशासनिक उपरिव्यय एवं विपणन उपरिव्यय पर अदा की गई शामिल होगी।
- (ट) सेवा लागत केंद्र के संबंध में उठाई गई वित्तीय लागतों को सेवा लागत केंद्र की लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (ठ) सेवा लागत केंद्र की लागत में अभ्यारोपित लागतों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ड) जहां सेवा लागत केंद्र की लागत का लेखा मानक लागत पर रखा जाता है, मूल्य और प्रयोग विचलन जो कि सेवा लागत केंद्र से संबंधित है, को सेवाओं की लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो कि असामान्य कारणों के कारण है को असामान्य लागत के रूप में माना जाएगा।
- (ढ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या सेवा लागत केन्द्र के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (ण) सेवाओं के उत्पादन और वितरण की लागत का निर्धारण सामान्य क्षमता या वास्तविक उपयोगिता जो भी उच्चतर होगा, द्वारा निर्धारित होगा और अप्रयुक्त लागत यदि कोई हो, को असामान्य लागत माना जाएगा। उद्यत सेवाओं की लागत में सेवा के लिए ऐसी सुविधा के अनुरक्षण में समर्पित लागतें शामिल होंगीं।
- (त) कोई असामान्य लागत जहां यह तात्विक और परिणाम योग्य है वह सेवा लागत केंद्र की लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (थ) पेनल्टी, नुकसानी जो कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को अदा की गई हैं वह सेवा लागत केंद्रों की लागत का भाग नहीं मानी जाएंगी।
- (द) क्रेडिट या वसूलियां जो सेवा लागत केंद्रों से संबंधित हैं जिसमें बाहरी पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के फीस शामिल हैं, जो तात्विक और परिमाण योग्य हैं, को उस सेवा लागत केंद्र की कुल लागत में से घटाया जाएगा।
- (ध) सेवा लागत के माप में प्रयुक्त लागत गणना सिद्धांतों में कोई बदलाव को तभी किया जाए यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या बदलाव के परिणामस्वरूप और अधिक समुचित रूप से किसी उद्यम की लागत विवरणों को तैयार करने या प्रस्तुतीकरण में सहायक हो।
- (न) सेवाओं की लागत की गणना करते समय लागत उद्देश्य को आर्थिक रूप से साध्य तरीके से जानना मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।

- (प) जहां सेवा लागत केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत सीधे रूप से लागत उद्देश्य में नहीं पहचानी जाए, वहां इसको सबसे समुचित आधार पर समनुदेशित की जाएगी।
- (फ) लागत केंद्रों के उपभोक्ता सेवाओं को लागत सेवा, सेवा केंद्र की लागत के वितरण का सबसे समुचित आधार को युक्तियुक्त मापदंडों से निकाला जाएगा जोकि प्रदान की गई सेवाओं के प्रयोग से संबंधित हो। मापदंड सम्यक, युक्तियुक्त एवं निरंतर होंगे।
- 15. पैिकंग व्यय (क) घरेलू और निर्यात पैिकंग के उपयुक्त अभिलेख अलग-अलग रखे जाएंगे जिसमें मूल्यांकन का आधार दर्शाते हुए आरंभिक या द्वितीय पैिकंग के लिए विभिन्न पैिकंग सामग्री की मात्रा और लागत तथा अन्य व्यय का उल्लेख किया जाएगा।
- (ख) पैकिंग सामग्री की रसीदों का मूल्यांकन खरीद मूल्य पर होगा जिसमें फीस और कर, आंतरिक भाड़ा, बीमा और अन्य व्यय जो सीधे रूप से उपस्पन से संबंधित हैं (निबल व्यापार बट्टा, छूट, कर और फीस, जो प्रतिदेय है या जो जमा किए जाने हैं) जिनकी अर्जन के समय गणना की जा सके।
- (ग) पैकिंग सामग्री के अर्जन के संबंध में अदा की गई सीधी वित्तीय लागत पैकिंग सामग्री लागत का भाग रूप नहीं होगी।
- (घ) स्व विनिर्मित पैिकंग सामग्री का मूल्यांकन जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष खर्चे, कार्य फीस, कारखाना उपरिव्यय जिसमें प्रशासनिक उपरिव्यय का अंश शामिल है, जिसमें कारखाना प्रबंधन और प्रशासन शामिल है और अनुसंधान तथा विकास लागत का अंश जो विकास और विद्यमान प्रक्रिया या उत्पाद के सुधार पर खर्च किया गया, शामिल है।
- (ङ) पैकिंग सामग्री का सामान्य हानि या क्षरण जो कारखाना में प्राप्त होने से पूर्व हुआ है को अति शेष सामग्री की निबल लागत जो प्रदाता, बीमाकर्ता, वाहक या निपटान से वसूलियों की निबल रकम में समायोजित किया जाएगा।
- (च) आयातित पैिकंग सामग्री लागत के विदेशी हिस्से को संव्यवहार की तारीख की दर पर संपरिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तन दर में कोई पश्चात्वर्ती संपरिवर्तन जब तक भुगतान या अन्यथा न हो जाए को पैिकंग सामग्री लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (छ) परिवहन एजेंसी या किसी प्राधिकारी द्वारा लगाया गया कोई डैमरेज, अवरोध फीस या शास्ति पैकिंग सामग्री की लागत का भाग नहीं होगा।
- (ज) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या पैकिंग सामग्री के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी भुगतान को आय के रूप में शामिल किया गया, में लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (झ) पैकिंग सामग्री का निर्गम तत्समय प्रवृत लागू लेखा मानकों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार समुचित पद्धित का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ञ) जहां पैकिंग सामग्री की लागत में परिवहन लागतें शामिल हैं, वहां परिवहन की लागतों का अवधारण पैरा संख्या 9, में परिवहन लागत का अवधारण, के अनुसार होगा।
- (ट) पैकिंग सामग्री लागत में अभ्यारोपित लागतें शामिल नहीं होंगी।
- (ठ) जहां पैकिंग सामग्री का मानक लागत पर हिसाब लगाया जाता है, ऐसी सामग्री से संबंधित मूल्य विचलन को पैकिंग सामग्री लागत का भाग माना जाएगा और सामान्य कारणों के कारण प्रयोग विचलन को पैकिंग सामग्री लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से प्रयोग विचलन को असामान्य लागत का भाग माना जाएगा।
- (ड) पैकिंग सामग्री के खपत से उत्पन्न सामान्य ह्रास को पैकिंग सामग्री लागत में शामिल किया जाएगा।
- (ढ) कोई असामान्य लागत तात्विक और परिमाण योग्य है को पैकिंग सामग्री लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ण) पैकिंग सामग्री से उत्पन्न सामान्य स्क्रैप के रूप में कोई क्रेडिट या वसूली यदि कोई हो, को पैकिंग सामग्री की कुल लागत में से घटाया जाएगा जिससे पैकिंग सामग्री की निबल लागत तय की जा सके।
- (त) पैकिंग सामग्री लागत को सीधे रूप से वस्तु लागत से मितव्ययी रूप से साध्य मात्रा तक निकाला जाएगा।

- (थ) जहां पैकिंग सामग्री लागतें वस्तु लागत से सीधे रूप से नहीं निकाली जा सकतीं वहां उन्हें खपत की गई मात्रा के आधार पर या समान उपाय जैसे तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर समनुदेशित किया जाएगा।
- (द) पुन: उपयोग्य पैकिंग की पैंकिग सामग्री लागत समयों या अवधि की संख्या जिनके दौरान ये पुनःउपयोग किया जाना प्रत्याशित है, को हिसाब में लेते हुए वस्तु लागत समनुदेशित की जाएगी।
- (ध) प्राथमिक पैकिंग सामग्री की लागत उत्पादन लागत का भागरूप होगी।
- (न) द्वितीय पैकिंग सामग्री लागत वितरण उपरिव्यय का भागरूप होगी।
- **16.** वित्तीय लागत किसी इकाई द्वार वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उपगत ब्याज और अन्य लागतें वित्त लागत हैं और तत्समय प्रवृत्त लागू लेखा मानकों के अनुसार मापी जाएंगी।
- (ख) उपगत वित्त लागत निम्नलिखित के लिए परिलक्षित की जाएगी :-
 - (i) अर्जन या निर्माण या अर्हक आस्तियों का उत्पादन, जिसके अन्तर्गत स्थिर आस्तियां भी हैं; और
 - (ii) अन्य वस्तुओं के उत्पादन की वित्तीय लागत या प्रचालन या सेवाएं जो प्रदान की गईं जिन्हें अर्हक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- (ग) किसी अर्हक आस्ति का प्रत्यक्षतः अर्जन या निर्माण या उत्पादन हो सकने वाली वित्त लागत जिसके अन्तर्गत आस्ति की लागत भी है।
- (घ) वित्त लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होंगी।
- (ङ) वित्त लागत के संबंध में प्राप्त या प्रतियोग्य कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और कोई ऐसा संदाय को प्रति योग्य वित्तीय वर्ष, जिसमें उस सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और ऐसे किसी संव्यय को आय के रूप में शामिल किया गया, को लागत वस्तु की लागत से घटाया जाएगा।
- (च) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को संदत्त विलंबित संदाय के लिए शास्तिक ब्याज, जुर्माने, शास्तियां, नकुसानी और उसी प्रकार के उदग्रहण वित्त लागतों का भाग रूप नहीं होंगे। यदि कंपनी समनुदेशित तारीख से परे कानूनी शोध्यों का संदाय विलंब से करती है तो विलंबित संदाय के लिए संदत्त ब्याज को शास्तिक ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (छ) निवेश के लिए अदा या प्राप्त किया गया ब्याज, वस्तुओं के उत्पादन या प्रचालन या प्रदाय सेवाओं के शुल्कों के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (ज) लागत वस्तुओं की वित्त लागत का समनुदेशन निम्निलिखित दो सिद्धांतों में से किसी पर आधारित होगा अर्थात्, (1) कारण और प्रभाव- कारण प्रक्रिया या प्रचालन या गतिविधि है और प्रभाव लागत से उपगत होता है। (2) प्राप्त फायदा- विभिन्न लागत, वस्तुओ द्वारा प्राप्त किए गए फायदों के अनुपात में बांटे जाएंगे।
- 17. लागत की कोई अन्य मद लागत की किसी अन्य मद, जिसे लागत अभिलेखों में शामिल करने के लिए अपरिहार्य और आवश्यक समझा जाए, के उपयुक्त अभिलेख समनुदेशित माल या सेवाओं के कुल और प्रति इकाई फायदा, विक्रय की लागत, माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत की गणना के लिए रखे जाएंगे।
- **18. क्षमता अवधारण:-** (क) क्षमता, उत्पादन की इकाइयों या सेवाओं या समतुल्य मशीन या श्रम घंटों के निबंधन अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (ख) स्थापित क्षमता निम्नलिखित आधारों पर अवधारित की जाती है : (i) विनिर्माताओं का तकनीकी विनिर्देश, (ii) व्यक्तिगत या अंतरसंबंधित उत्पादन केन्द्रों की क्षमता; (iii) परिचालन की कर्मियों या दोषदर्शी मशीनों की क्षमता; या (iv) पारियों की संख्या।
- (ग) यदि विनिर्माताओं की तकनीकी विनिर्देश उपलभ्य नहीं है तो, आदर्श शर्तों के अधीन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा क्षमता प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए स्थापित क्षमता अवधारित की जाएगी। यदि कोई उत्पादन जोड़ी या व्यक्त की जाती है तो स्थापित क्षमता का ऐसे जोड़ने या व्यक्त करने की तारीख से किया जाएगा। यदि इसका सरकार के निदेशों के अनुसार पुर्नमूल्याकंन किया जाता है तो उक्त निदेशों में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। यदि उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ है तो, स्थापित क्षमता का पुनमूल्याकंन ऐसे सुधार की तारीख से किया जाएगा।

- (घ) सामान्य क्षमता का निर्धारण (i) छुट्टियाँ, सामान्य कामबंदी दिवसों और सामान्य निष्क्रिय समय ii) बैच परिवर्तन में लगा सामान्य समय; (iii) निवारक अनुरक्षण और उपस्कर की सामान्य विफलता के कारण लगा समय; (iv) पुराने उपस्कर के कारण क्षमता की कमी; या (v) पारियों की संख्या, के लिए समायोजन करने के बाद स्थापित क्षमता के साथ किया जाएगा
- (ङ) क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता की एक प्रतिशतता के रूप में मापित वास्तविक उत्पादन है।
- 19. चालू कार्य तथा तैयार स्टॉक: प्रक्रियागत माल और तैयार माल के स्टॉक तथा परिदान की जाने वाली या प्रक्रियाधीन सेवाओं को लागत के अवधारण के लिए अनुसरित पद्धित समुचित होगी और उसे लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा जिससे उस लागत को प्रकट किया जा सके जिसे ऐसी संगणना करने हेतु हिसाब में लिया गया है। तालिकाओं को उनकी वर्तमान अवस्थिति और स्थिति में लाने के लिए उपगत सभी संपरिवर्तन लागतों को प्रक्रियागत और तैयार स्टॉक की लागत संगणना करते समय हिसाब में लिया जाएगा। प्रक्रियागत माल और तैयार माल की लगात के अवधारण के लिए अंगीकृत पद्धित का संगत रूप से अनुसरण किया जाएगा।
- 20. **आबद्ध खपत:** यदि निर्देशधीन माल या सेवाओं का उपयोग आबद्ध खपत के लिए किया जाता है तो स्वयं की खपत के लिए कंपनी के अन्य विभागों या लागत केन्द्रों या ईकाइयों को अन्तरित और पृथक रूप से बाहरी पक्षकारों को बिक्रीतर प्रत्येक ऐसे माल या सेवाओं की मात्रा और लागत को दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे।
- 21. उपोत्पाद और संयुक्त उत्पाद:- (क) उत्पादित/उपोत्पाद की प्रत्येक मद यदि कोई हो, के लिए ऐसे उचित अभिलेख रखे जाएंगे जो प्राप्ति-निर्गमों और अतिशेष दोनों को मात्रा और मूल्य में दर्शाते हों। संबंधित प्रसंस्करण को क्रेडिट देने के लिए उपोत्पाद के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार साम्यापूर्ण और संगत होगा तथा इसे लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त प्रसंस्करण पर उपगत व्ययों, यदि कोई हो, और उपोत्पाद को वास्तविक विक्रय वसूली को दर्शाने वाले अभिलेख रखे जाएंगे। उपोत्पादों के निपटान से उधारों या वसूलियों की बाबत उचित अभिलेख रखे जाएंगे।
- (ख) उत्पादों या सेवाओं को पृथक करने की लागत एक तर्कसंगत और साम्य आधार पर संयुक्त उत्पादों या सेवाओं के अनुपात में होगी और इसे नियमित रूप से प्रवृत्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया से विभिन्न उत्पादों या सेवाओं को संयुक्त लागत के अनुपात में रखने के आधार को लागत अभिलेखों में दर्शाया जाएगा। संयुक्त उत्पादों या सेवाओं के निपटान से प्राप्त वसूलियों या ऋणों के संबंध में उचित अभिलेख रखे जाएंगे।
- 22. लागत में अंतर का समायोजन:- जहां कंपनी वास्तविक से भिन्न मानक लागत के स्थान पर किसी और आधार पर लागत अभिलेख रखती है तो अभिलेखों में उक्त प्रणाली के अधीन माल या सेवाओं की लागत की गणना के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा। अलग-अलग उपरिव्यय के सामने लागत अंतर दर्शाया जाएगा और सामग्री, श्रम, उपरी शीर्ष के अधीन विश्लेषित किया जाएगा और उसे मात्रा, कीमत और कार्यदक्षता में आगे बांटा जाएं। माल या सेवाओं की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए लागत अंतर के समायोजन के लिए अपनाई गई प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। अंतर के कारणों का उचित स्पष्टीकरण लागत अभिलेखों और विवरणों मे दिया जाएगा।
- 23. **लागत और वित्तीय लेखों का समायोजन:-** लागत विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों से समायोजित किए जाएंगे और उनमें स्पष्ट रूप से ऐसे व्यय या आय का उल्लेख होगा जिन पर लागत अभिलेखों या विवरणों में विचार नहीं किया गया है ताकि उनका सटीक होना सुनिश्चित किया जा सके और समनुदेशित माल या सेवाओं के फायदा का समायोजन कंपनी के समग्र फायदा से हो सके। अंतर यदि कोई हो तो, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा और स्पष्टीकरण दिया जाएगा।
- 24. **संबंधित पक्षकार संव्यवहार :** (क) "संबंधित पक्षकार" से कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 76 के अधीन परिभाषित संबंधित पक्ष अभिप्रेत है।
- (ख) "सामान्य कीमत" से व्यापार और वाणिज्य, जहां प्रभारित कीमत विक्रय के एकमात्र प्रतिफल है और ऐसा विक्रय संबधित पक्षकार को नहीं किया जाता है, के साधारण अनुक्रम में तुलनीय या समान उत्पादों के लिए भारित कीमत अभिप्रेत है। सामान्य कीमत ऐसी कीमत हो सकेगी जिसपर संव्यवहार के लिए दो असंबंध और गैर जोखिम पक्षकार संव्यवहार के लिए सहमत होते हैं और जहां ऐसा संव्यवहार, संव्यवहार के पक्षकारों की निकटता के कारण संदेहास्पद नहीं है और पक्षकारों के समाहित के प्रभाव से मुक्त हों।
- (ग) सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अंगीकृत आधार निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा
 - (i) तुलनीय अनियंत्रित कीमत पद्धति

- (ii) पुनर्विक्रय कीमत पद्धति
- (iii) लागत अतिरिक्त पद्धति
- (iv) फायदा विभक्त पद्धति
- (v) संव्यवहार शुद्ध फायदा पद्धति
- (vi) अन्य कोई विधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए।
- (घ) कंपनी द्वारा किसी ऐसी कंपनी को जिसे "संबंधित पक्षकार संबंध" कहा गया है और विलोमतः स्थिति में, संबंधित पक्ष संव्यवहार या की गई आपूर्ति या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निम्नलिखित के संबंध में किए गए संविदा, करारों या समझौतों को दर्शाया जाएगाः-
 - (i) कच्ची सामग्री की क्रय और विक्रय, तैयार माल, सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रक्रियाधीन सामग्री और कतरन समेत रद्द किया गया माल और अन्य संबंधित सामग्री:
 - (ii) संयत्र सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी का उपयोग;
 - (iii) जनसुविधाओँ और अन्य सेवाओं की आपूर्ति;
 - (iv) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय या कोई अन्य परामर्शदात्री सेवाएं;
 - (v) संयत्र और मशीनरी समेत पूंजीगत माल का विक्रय और क्रय; और
 - (vi) समनुदेशित माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य भुगतान
- (ङ) इन अभिलेखों में उस आधार को भी उपदर्शित किया जाएगा जिसके आधार पर इन माल या सेवाओं के लिए दरें तय की गई या संदाय किया गया ताकि इन दरों, जहां तक वे समनुदेशित माल और सेवाओं से संबंधित है, के बारे में इन दरों के औचित्य का अवधारण किया जा सके।
- 25. **निर्यात पर व्यय या प्रोत्साहन**—(क) समनुदेशित माल या सेवाओं के निर्यात विक्रय पर उपगत व्यय, यदि कोई है, के अलग-अलग उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे ताकि निर्यात विक्रय की सही लागत का निर्धारण किया जा सके। निर्यात किए गए माल या सेवाओं के अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएंगे जिनमें निर्यात पर हुए व्यय या अर्जित प्रोत्साहनों के ब्यौरे दिए जाएंगे।
- (ख) उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें अनुज्ञप्ति वार निर्यात वचनबद्धताओं और 'इन वचनबद्धताओं' को पूरा करने, अनुपालन न करने पर उनके कारण, यदि कोई हो, के ब्यौरे दिए जाएंगे। उत्पाद फीस मुक्त आयात की दशा में लागत विवरणों में इस तथ्य को दर्शाया जाएगा। यदि वास्तविक उत्पादन के पश्चात् उत्पाद फीस मुक्त आयात किया गया है तो यह तथ्य भी विवरण में दर्शाया जाएगा।
- 26. उत्पादन अभिलेख: सभी तैयार माल (पैक्ड या बिना पैक्ड) या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें समनुदेशित माल या सेवाओं की विभिन्न किस्म के उत्पादन, विक्रय के लिए निर्गम और बकाया दर्शाया जाएगा। स्वयं उत्पादित, तृतीय पक्षकार द्वारा जॉब वर्क, ऋण अनुज्ञप्ति आधार आदि के लिए माल के उत्पादन या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे।
- 27. विक्रय अभिलेख: नियंत्रित कीमतों पर घरेलू विक्रय, बाजार कीमत पर घरेलू विक्रय, अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात विक्रय, अन्य बाध्यताओं के अधीन निर्यात विक्रय, बाजार कीमत पर निर्यात विक्रय, संबंधित पक्षकार या अंत: एकक अंतरण को विक्रय के संबंध में विक्रय के अलग-अलग ब्यौरे रखे जाएगा। नियंत्रित कीमतों पर घरेलू परिदान या विक्रय, बाजार कीमत पर घरेलू परिदान या विक्रय, अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात परिदान या विक्रय, अन्य बाध्यताओं के अधीन निर्यात परिदान या विक्रय, बाजार कीमत पर निर्यात परिदान या विक्रय, संबंधित पक्ष या अंतर यूनिट स्थानांतरण को परिदान या विक्रय की दशा में, उक्त ब्यौरे प्रत्येक संयत्र या इकाई वार या सेवा केन्द्र वार कुल के साथ-साथ प्रति एकक विक्रय वसूली के लिए अलग-अलग रखे जाएंगे।
- 28. लागत विवरण—(क) समनुदेशित प्रत्येक माल या सेवा के संबंध में मात्रात्मक सूचना दर्शाते हुए लागत विवरण (मासिक,तिमाही और वार्षिक) तैयार किए जाएंगे जिनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध क्षमता के ब्यौरे, वास्तविक उत्पादन, उत्पाद फीस अभिलेखों के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग (इन-हाउस), व्यापार के लिए खरीदा

गया स्टॉक, स्टॉक और अन्य समायोजन, विक्रय के लिए उपलब्ध मात्रा, अपव्यय और वार्षिक विक्रय, अन्य संबंधित मामले आदि दर्शाए जाएगे।

- (ख) इन विवरणों में लागत की सभी प्रमुख मदों जिनमें माल या सेवाओं के उत्पादन की लागत, माल या सेवाओं के विक्रय की लागत और कुल के साथ-साथ माल या सेवाओं की प्रति यूनिट अतिरिक्त मार्जिन शामिल है, से संबंधित ब्यौरे भी शामिल किए जाएंगे। किसी प्रक्रिया से तैयार होने वाली माल या सेवा जो कि पश्चातवर्ती प्रक्रिया में कच्चे माल या आदान सामग्री या सेवा का रूप लेती है, का मूल्य पूर्व चरण तक उत्पादन या सेवा की लागत के आधार पर लगाया जाएगा।
- (ग) अप्रत्यक्ष करों के समायोजन के संबंध में लागत विवरणों (मासिक तिमाही और वार्षिक) में माल या सेवाओं की कुल निकासी, मूल्यांकन योग्य मूल्य, भुगतान किया गया फीस या कर सैनवेट या वेट या उपयोग किया गया सेवा कर प्रत्यय, वसूल किए गए फीस या कर तथा भुगतान किया गया ब्याज या शास्ति के ब्यौरे दर्शाए जाएं।
- (घ) यदि कंपनी एक से अधिक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र चला रही है तो प्रत्येक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र के संबंध में उपर विनिर्दिष्ट अनुसार अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएंगे।
- (ङ) कंपनी द्वारा उत्पादित माल या सेवाओं की लागत और फायदा की उपयुक्त प्रस्तुति के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य विवरण या जानकारी भी तैयार किया जाएगा।
- 29. सांख्यिकीय अभिलेख—(क) समनुदेशित माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न उत्पादन विभागों में उपलब्ध मशीन घंटे या प्रत्यक्ष मजदूरी घंटे तथा उनके वास्तविक उपयोग तथा उनमें कमी के उपयुक्त विश्लेषण के बारे में अभिलेख रखें जाएंगे। मशीन और या श्रम के निष्क्रिय रहने के घंटो की गणना का उपयुक्त अभिलेख रखा जाएगा और विश्लेषण किया जाएगा।
- (ख) उपयुक्त अभिलेख इस दृष्टि से रखे जाएंगे कि कंपनी समनुदेशित माल और सेवाओं तथा अन्य माल और सेवाओं के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगाई गई पूंजी, निवल अचल आस्तियों और चालू पूंजी को अलग-अलग चिन्हित कर सके। चिह्नित न की जा सकने वाली मदों का आबंटन अलग-अलग माल या सेवाओं के लिए उपयुक्त और औचित्यपूर्ण ढ़ंग से किया जाए। समनुदेशित माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अचल संपत्तियों पर किए गए ऐसे नये निवेश जिनका संगत अविध या वर्ष के दौरान माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने में योगदान नहीं है, का उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। इसके अलावा, अभिलेखों में, प्रतिस्थापन्न के रूप में और विद्यमान क्षमता बढ़ाने के लिए लाई गई आस्तियों को दर्शीया जाएगा।
- **30. भौतिक सत्यापन के अभिलेख:** स्टॉक में रखी सभी मदों जैसे कि कच्ची सामग्री, प्रक्रियाधीन सामग्री, पैकिंग सामग्री, उपभोज्य, भंडारण, मशीनरी के अतिरिक्त कल-पुर्जें, रसायन, ईधन, तैयार माल और अचल आस्तियों आदि के संबंध में भौतिक सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंगे। इन सत्यापनों के फलस्वरूप कमी या अतिरिक्त मदों के कारणों तथा माल या सेवाओं की लागत में उनके समायोजन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा।

प्ररूप सीआरए-3

[कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(4) देखें] लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप

मैं/ह	हमकंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 की उपधारा (3) के अधीन. (कंपनी
का	नाम उल्लेख करें)(कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(कंपनी के रजिस्ट्रीकृत
का	र्यालय के पते का उल्लेख करें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया/किए गए
औ•	र लागत लेखापरीक्षक नियुक्त होने के बाद अवधि/वर्ष (वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें) के लिए उक्त
अधि	धेनियम की धारा 148 के अधीन आने वाले लेखा बहियों तथा (उत्पाद/सेवा(ओं) के नाम का उल्लेख
करें	;) के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए अन्य संगत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा की है पैरा 2 में उल्लिखित मेरे/हमारे आक्षेप
तथ	ा सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं।

- (i) मुझे/हमें मेरे/हमारे जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य जानकारी और विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं जो कि इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- (ii) मेरे/हमारे राय के अनुसार कंपनी संशोधन नियम, 2014 (लागत अभिलेख और लेखा) के नियम 5 के अनुसार समनुदेशित उत्पादों/ सेवाओं के विषय में कंपनी द्वारा उचित लागत अभिलेख तैयार नहीं किया गया।

मेरे/हमारे राय के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं की गई शाखाओं से लागत लेखापरीक्षा के उद्देश्य से

लिए वास्तविक उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।

- (iv) मेरे/हमारे राय के अनुसार और मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार उक्त पुस्तक और अभिलेख कंपनी अधिनियम,2013 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से देती/नहीं देती हैं।
- (v) मेरे/हमारे राय के अनुसार कंपनी में लागत रिकॉर्डा की आंतरिक लेखापरीक्षा की उचित प्रणाली है नहीं है, जो मेरे/ हमारे मत के अनुसार अपने व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप है।
- (vi) मेरे/हमारे राय के अनुसार इस लागत रिपोर्ट के उपाबंध में दी गई सूचना व विवरण उत्पाद (उत्पादों) के उत्पादन/सेवा (सेवाओं) के सर्मपण विक्रय की लागत, मार्जिन और समनुदेशित वस्तु (वस्तुओं)/ सेवा (सेवाओं) से संबंधित अन्य सूचना सत्य और सही सूचना देते /नहीं देते हैं।
- (vii) मेरे/हमारे द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षण एवं प्रमाणित कंपनी के अधीन उत्पाद/सेवा के संबंध में विस्तृत इकाई-वार तथा उत्पाद/सेवा वार लागत कथन तथा अनुसूचियों को कंपनी में रखा/नहीं रखा जाता है।

2.	लागत लेखापरीक्षा से संबंधित लागत लेखापरीक्षक की जांच और सुझाव, यदि कोई हो तो।
	तारीख दिन/मास/वर्ष
	स्थान (इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का स्थान)

लागत लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों)

का हस्ताक्षर और मुहर

सदस्यता संख्या

टिप्पणियां :- (1) ऐसे शब्दों को हटा दें जो प्रवृत्त नहीं है।

- (2) लेखा बहियों की जांच के परिणास्वरूप यदि लेखा परीक्षक किसी तथ्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना या सशर्त रिपोर्ट देना चाहता है तो पायी गई विसंगति का विवरण देते हुए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित प्ररूप में संबंधित पैऱा (i) से (vi) के सामने लिखें।
- (3) लागत लेखापरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट, सुझाव, जांच और निष्कर्ष सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होगी। जिसका संदर्भ जहां संभव हो यहां दिया जाएगा और कंपनी को उन पर टिप्पणी करने का अवसर मिलने के बाद शामिल किया जाएगा।

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उपाबंध

<u>भाग-क</u>

1. साधारण सूचना

- 1 कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या:
- 2 कंपनी का नाम:
- 3 रजिस्ट्रीकृत या कंपनी के भारत में कार्यालय के मुख्य स्थान व्यवसाय का पता:
- 4 कंपनी के कारपोरेट कार्यालय का पता:
- 5 कंपनी का ई-मेल पता:

ि रिपोर्ट की वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की तारीखः दिन/मास/वर्ष
 ि रिपोर्ट की वित्तीय वर्ष के अंत की तारीखः दिन/मास/वर्ष
 श्रूर्व वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की तारीखः दिन/मास/वर्ष
 पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत की तारीखः दिन/मास/वर्ष

10 लागत विवरण में उपयोग किया गया पूर्णता का स्तर (रु. में) भारतीय रुपये

- 11 क्या कंपनी के लिए भारतीय लेखांकन मानक प्रवृत्त हैं
- 12 रिपोर्ट की अवधि के लिए लागत लेखाकारों की संख्याः
- 13 निदेशक बोर्ड के बैठक की तारीख जिसमें लागत लेखा रिपोर्ट के उपाबंध का अनुमोदन किया गयाः
- 14 क्या लागत लेखाकारों के रिपोर्ट अर्हक है या इसमें कोई आपत्ति है या इसमें प्रतिकूल टिप्पणी अन्तर्विष्ट हैः
- 15 सभी लागत लेखाकारों की समेकित अर्हताएं, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणियां
- 16 सभी लागत लेखाकारों की समेकित टिप्पणी या सुझाव
- 17 क्या कंपनी ने वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या विक्रय के लिए संबंधित पक्ष संव्यवहार किए है।

2. लागत लेखाकार का साधारण विवरण

1.	क्या लागत लेखाकार ही प्रमुख लेखाकार है	
2.	लागत लेखाकार का वर्ग	
3.	फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
4.	लागत लेखाकार/ लागत लेखाकार के फर्म का नाम	
5.	लागत लेखाकार की फर्म/ लागत लेखाकार की स्थायी लेखा खाता संख्या	
6.	लागत लेखाकार या लागत लेखाकार की फर्म का पता	
7.	लागत लेखाकार या लागत लेखाकार की फर्म का ई-मेल पता	
8.	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य की सदस्यता संख्या	
9.	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का नाम	
10.	सीईटीए शीर्षक के साथ वस्तु (वस्तुओं) या सेवा (सेवाओं) के नाम	
11.	प्ररूप 23 ग/सीआरए-2 की एसआरएन संख्या	
12.	वर्ष के दौरान लागत लेखाकारों द्वारा उपस्थित लेखा समिति बैठकों की संख्या	
13.	लागत लेखाकार द्वारा लागत लेखा रिपोर्ट और उपाबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख	
14.	लागत लेखाकार द्वारा लागत लेखा रिपोर्ट और उपाबंध पर हस्ताक्षर करने का स्थान	

3. लागत लेखांकन नीति

- (1) कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखांकन नीति का संक्षिप्त रूप में वर्णन करें और समनुदेशित प्रत्येक उत्पाद (उत्पादों)/सेवा (सेवाओं) के लिए अलग-अलग उत्पादन/प्रचालन लागत, विक्रय लागत, विक्रय प्राप्तियां और मार्जिन को सही-सही निर्धारित करने के लिए इसकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता बताएं। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होने चाहिएं:-
- (क) लागत केन्द्र/लागत लक्ष्य और लागत प्रेरक की पहचान
- (ख) पैकिंग सामग्री, भंडार और अतिरिक्त आदि सहित लागत सामग्री, कर्मचारी लागत, उपयोगी वस्तुएं और अन्य सुसंगत लागत अवयव के लिए लेखांकन
- (ग) उपरिव्यय लेखांकन, आवंटन और समामेलन
- (घ) अवक्षयण/ऋणपरिशोधन के लिए लेखांकन
- (ङ) सह-उत्पाद/सहयुक्त-उत्पाद या सेवाओं, स्क्रैप, रद्दी आदि के लिए लेखांकन
- (च) वस्तुसूची मूल्यांकन का आधार

- (छ) अंतर-इकाई/अंतर कंपनी और संबंधित पक्ष लेन-देन के मूल्यांकन की पद्धति
- (ज) अन्य गैर-लागत मदों के वर्गीकरण सहित असामान्य और गैर आवर्ती लागतों का समाधान
- (झ) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य संगत लागत लेखांकन नीति
- (2) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में लेखापरीक्षा के अधीन वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) के लिए लागत लेखांकन में किए गए परिवर्तनों यदि कोई हो तो का संक्षिप्त ब्यौरा दें, ।
- (3) कंपनी द्वारा अनुपालित बजट नियंत्रण प्रणाली में कमी या अन्यथा लेने संबंधी लागत लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, यदि कोई हैं तो।

4. उत्पाद/सेवा का ब्यौरा (समग्र कंपनी के लिए)

उत्पाद (उत्पादों)/सेवा (सेवाओं) का नाम	माप की इकाई	सीईटीए शीर्ष (जहां प्रवृत्त हो)	क्या लागत लेखा के अधीन शामिल है (हां/नहीं)		परिचालन ल्कों आदि
				चालू वर्ष रुपये	पूर्ववर्ती वर्ष रुपये
1.					
2.					
3.					
4.					
परिचालन से प्राप्त कुल सकल राजस्व					
कंपनी की अन्य आय					
वित्तीय लेखाओं के अनुसार कुल राजस्व					
विशेष, असाधारण और अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो					
विशेष असाधारण और अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो, सहित कुल राजस्व					
उत्पाद-कर/सेवा कर के रिकार्ड के आधार पर व्यापारावर्त					

टिप्पण (i) वित्तीय कथनों के अनुसार व्यापारावर्त और उत्पाद-कर/सेवा कर अभिलेख के अनुसार व्यापारावर्त के बीच का अंतर, यदि कोई हो, की व्याख्या करें।

भाग-ख

विनिर्माण क्षेत्र के लिए

मात्रात्मक सूचना (प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक सीईटीए शीर्षक सहित)			
उत्पाद का नाम			
सीईटीए शीर्षक			
विशिष्टियां	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. उपलब्ध क्षमता			
(क) स्थापित क्षमता			
(ख) वर्ष के दौरान संवर्धित क्षमता, यदि कोई हो			
(ग) पट्टा व्यवस्था यदि कोई हो के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(घ) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(इ) कुल उपलब्ध क्षमता			
2. वास्तविक उत्पादन			
(क) स्वतः विर्निर्मित			
(ख) पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित की गई			
(ग) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों द्वारा जॉब कार्य पर उत्पादन			
(घ) कुल उत्पादन			
3. उत्पाद फीस अभिलेखों के अनुसार उत्पादन			
4. क्षमता उपयोग (इन हाउस)			
5. तैयार माल खरीद			
5. तैयार माल खरीद			
5. तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद			
5. तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल			
 तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल 6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन 			
 तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल 6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन (क) तैयार वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन 			
5. तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल 6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन (क) तैयार वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन (ख) स्वतः/आबद्ध खपत (नमूना आदि सहित) (ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो (क्षति आदि)			
5. तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल 6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन (क) तैयार वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन (ख) स्वतः/आबद्ध खपत (नमूना आदि सहित) (ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो (क्षति आदि) (घ) कुल समायोजन 7. विक्रय के लिए कुल उपलब्ध मात्रा प्रदत्त सेवाएं [2 (घ)+5(ग)-6			
5. तैयार माल खरीद (क) तैयार माल की घरेलू खरीद (ख) तैयार माल का आयात (ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल 6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन (क) तैयार वस्तुओं के स्टाक में परिवर्तन (ख) स्वतः/आबद्ध खपत (नमूना आदि सहित) (ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो (क्षति आदि) (घ) कुल समायोजन 7. विक्रय के लिए कुल उपलब्ध मात्रा प्रदत्त सेवाएं [2 (घ)+5(ग)-6 (घ)]			

(ग)	उत्पादों का निर्यात विक्रय		
(ঘ)	ट्रेड उत्पादों का निर्यात विक्रय		
(ङ)	विक्रय की गई कुल मात्रा		

م شهد		 (-2- -2-			
		वरण (प्रत्यक ५	उत्पाद के लिए पृथक सी │	इटाए शाषक साह	₹ ₫)		
उत्पाद का							
सीईटीए १							
मात्रा की र	इकाई 	1					
	उत्पादन		तैयार माल की खरीद	समाप्त स्टाक समायोजन	सीमित खपत	अन्य समायोजन	विक्रय मात्रा
	चालू वर्ष						
	पूर्ववर्ती व र्ष						
क्र. सं.	विशिष्टिय	ıi		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
				रकम (रुपए में)	प्रति इकाई दर (रु.)	रकम (रु.)	प्रति इकाई दर (रु.)
1.	खपत की हुई सामग्री (पैरा 2 क के अनुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।)						
2.	प्रक्रिया स	ामग्री/ रसायन	Τ				
3.	उपयोगित करें।)	ता (2 ख के अर्	नुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट				
4.	प्रत्यक्ष क	र्मचारी लागत					
5.	प्रत्यक्ष व्य	।य					
6.	उपभोज्य	स्टोर एवं पुर्जें					
7.	मरम्मत ।	एवं रख रखाव					
8.	गुणवत्ता	नियंत्रण व्यय					
9.	शोध एवं	विकास व्यय					
10.	तकनीकी	जानकारी फी	स/रॉयल्टी				
11.	अवक्षयण /क्रमिक अपाकरण						
12.	अन्य उत्पादन उपरी व्यय						
13.	उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय (पैरा 2(ग) के अनुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						
14.	कुल (1 से 13)						
15.	कार्य की	प्रगति में वृद्धि	′कमी				
16.	घटाएः व यदि कोई	सूली के लिए र हो,	बाते में जमा करना;				

17.	प्राथमिक पैंकिंग लागत						
18.	उत्पादन/परिचालन का लागत (14+15 से						
	17)						
19.	तैयार माल की खरीद की लागत						
20.	उत्पादन एवं खरीद की कुल लागत (18+19)						
21.	तैयार माल के स्टाक में वृद्धि/कमी						
22.	घटाएः स्वतः/सीमित खपत (नमूना आदि						
	सहित)						
23.	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)						
24.	उत्पादन की लागत/बिका हुआ उत्पाद का						
	परिचालन (20+21 से 23)						
25.	प्रशासनिक उपरी व्यय						
26.	दूसरी पैकिंग लागत						
27.	विक्रय और वितरण व्यय						
28.	ब्याज से पूर्व विक्रय का लागत (24 से 27)						
29.	वित्तीय व्यय						
30.	विक्रय की लागत (28+29)						
31.	वास्तविक विक्रय प्राप्ति (करों एवं शुल्कों का						
	वास्तविक रूप)						
32.	मार्जिन (लागत लेखाओं के अनुसार						
	फायदा/हानि) (31-30)						
	टिप्पण:						
1.	उत्पाद को दर्शाने वाले प्रत्येक सीईटीए शीर्षक के ि	लिए पृथक लाग	त विवरण तैयार	किए जाएंगे			
2.	यदि समान उत्पाद के भिन्न इकाई मान हो, तो भि	न्न इकाई मान वे	क लिए पृथक ल <u>ा</u> ग	ात विवरण उप	गबंधित किए		
	जाएंगे						
3.	प्ररूप में दर्शाया हुए मदों का लागत सांकेतिक है त				*		
	ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।उद्योग/उत्पाद की	। अपेक्षाओं को पृ	पूरा करने के लिए	प्ररूप को यथ	चित उपांतरित		
	किया जा सकता है।						
4.	यदि कंपनी पूर्व-निर्धारित या मानक लागत निकार			लागत विवर	ण में अतंर के		
	समायोजन के बाद वास्तविक आंकड़े परिलक्षित हे	ोने चाहिए, यदि	र कोई हो				

2 क. उपभ्	2 क. उपभुक्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा								
उत्पाद का	नाम								
सीईटीए श	ीर्षक								
सामग्री वर्ग माप की इकई				चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
का वर्णन			मात्रा	प्रति इकाई दर (रु.)	रकम	मात्रा	प्रति इकाई दर (रु.)	रकम	
1.									
2.									
3.									

4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
वर्गः स्वदेशी/आयातित/स्व विनिर्मित								

2ख. उपभुत्त	2ख. उपभुक्त सामग्री का विस्तृत विवरण							
उत्पाद का नाम								
सीईटीए शी	र्षक							
			चालू व	र्ष			पूर्ववर्ती व	र्ष
सामग्री का	माप की इकाई	मात्रा	प्रति इकाई		रकम	मात्रा	प्रति इकाई	रकम
वर्णन			(হ.)				दर (रु.)	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2ग. उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का विस्तृत ब्यौरा							
उत्प	ाद का नाम						
सीई	टीए शीर्षक						
उद्यो	ग विशिष्ट परिचालन व्यय का वर्णन	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष				
		रकम	रकम				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

भाग-ग सेवा क्षेत्र के लिए

2. मात्रात्मक सूचना (पृथक रूप से प्रत्येक सेवा के लिए)				
सेवा का नाम				
सेवा कोड (यदि प्रवृत्त हो)				
विशिष्टियां	माप की इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	
1. उपलब्ध क्षमता				
(क) स्थापित क्षमता				
(ख) वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि, यदि कोई हो				
(ग) कुल उपलब्ध क्षमता				
2. वास्तविक प्रदत्त सेवाएं				
(क) स्व सेवाएं				
(ख) सविंदात्मक व्यवस्था के अधीन सेवाएं				
(क) आउटसोर्स सेवाएं				
(ख) कुल सेवाएं				
3. सेवा कर अभिलेख के अनुसार कुल प्रदत्त सेवाएं				
4. क्षमता उपयोगिता (इन हाउस)				
5. वास्तविक विक्रय				
(क) प्रदत्त सेवाएं- घरेलू				
(ख) प्रदत्त सेवाएं- निर्यात				
(ग) कुल प्रदत्त सेवाएं				

2. संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक सेवा के लिए पृथक रूप से)								
सेवा का नाम								
सेवा कोड (यदि प्रवृत्त हो)								
माप की इकाई								
	प्रदत्त	सीमित	अन्य समायोजन	प्रदत्त सेवाएं				
	सेवाएं	खपत						
चालू वर्ष								

	पूर्ववर्ती वर्ष				
क्र. सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष
		रकम (रुपए)	प्रति इकाई दर (रुपए)	रकम (रुपए)	प्रति इकाई दर (रुपए)
1.	खपत की हुई सामग्री (पैरा 2 क के अनुसार ब्यौरा दें)				
2.	उपयोगिता (पैरा 2ख के अनुसार विस्तृत ब्यौरा दें)				
3.	प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत				
4.	प्रत्यक्ष व्यय				
5.	उपभोज्य स्टोर एवं पुर्जें				
6.	मरम्मत एवं रख रखाव				
7.	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय				
8.	अनुसंधान और विकास व्यय				
9.	तकनीकी जानकारी फीस रॉयल्टी				
10.	अवक्षयण/क्रमिक अपाकरण				
11.	अन्य उत्पादन उपरी व्यय				
12.	उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय (पैरा 2(ग) के अनुसार विस्तृत ब्यौरे दें)				
13.	कुल (1 से 12)				
14.	घटाएः वसूली के लिए खाते में जमा करना; यदि कोई हो,				
15.	प्रद्त्त सेवाओं की लागत (13-14)				
16.	आउटसोर्स/संविदागत सेवाओं की लागत				
17.	कुल उपलब्ध सेवाएं				

18.	घटाएः स्वतः/सीमित खपत (नमूना आई सहित)					
	311 2 (116(1)					
19.	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)					
20.	विक्रय सेवाओं की लागत (17-					
	18+19)					
21	प्रशासनिक उपरी व्यय					
22.	विक्रय और वितरण व्यय					
23.	ब्याज से पूर्व विक्रय की लागत					
	(20+21+22)					
24.	वित्तीय व्यय					
25.	विक्रय की लागत (23-24)					
26.	वास्तविक विक्रय प्राप्ति (करों एवं					
	शुल्कों का वास्तविक रूप)					
27.	मार्जिन (लागत लेखाओं के अनुसार					
	फायदा/ (हानि)					
	टिप्पणः					
1.	वस्तु को दर्शाने वाले प्रत्येक सीईटीए	शिर्षक के वि	लेए पृथक लाग्	ात विवरण तैयार	किए जाए	
2.	यदि समान उत्पाद के भिन्न इकाई मान हो, तो भिन्न इकाई मान के लिए पृथक लागत विवरण पैरा किए जाए					
3.	उद्योग/सेवाओं की आवश्यकताओं का	सामना कर	ने के लिए प्ररू	प में उपयुक्त उपां	तरण किए जाए	
4.	यदि कंपनी पूर्व-अवधारित या मान				उपर्युक्त लागत विवरण में अतंर के	
	समायोजन के बाद वास्तविक आंकड़े	परिलक्षित	होने चाहिए, य	यदि कोई हो।		

2क. उपभुक्त सामग्रियों का विस्तृत ब्यौरा										
सेवाओं का नाम										
सेवा कोड (यदि प्रवृत्त हो)										
सामग्री	वर्ग	माप की		चालू वर्ष			वर्ष			
का वर्णन		इकाई	मात्रा	प्रति इकाई दर	रकम	मात्रा	प्रति	रकम		
				(₹.)		इकाई दर				
							(হ.)			
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										

8.							
9.							
10.							
वर्गः स्वदेशी/आयातित/स्व विनिर्मित							

2ख. उपभु	क्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा							
सेवा का न	ाम							
सेवा कोड	(यदि प्रवृत्त हो)							
सामग्री	माप की इकाई	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष			
का वर्णन		मात्रा	प्रति इकाई दर रकम (रू)		मात्रा	प्रति इकाई दर (रू)	रकम	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2ग. उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का विस्तृत ब्यौरा						
सेवाओं का नाम						
सेवा कोड (यदि प्रवृत्त हो)						
उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का वर्णन	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष				
	रकम	रकम				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

7.	
8.	
9.	
10.	

भाग-घ 1.उत्पाद एवं सेवा फायदाप्रदत्ता विवरण (लेखा-परीक्षित उत्पादों/सेवाओं के लिए)

		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष			
क्र.सं.	ब्यौरा	विक्रय	विक्रय की	मार्जिन	विक्रय	विक्रय की	मार्जिन
			लागत			लागत	
	उत्पाद 1						
	उत्पाद 2						
	उत्पाद 3						
	आदि						
	सेवा 1						
	सेवा 2						
	सेवा 3						
	आदि						
	कुल						

2. फायदा समाधान (समग्र कंपनी के लिए)								
क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष रुपए	पूर्ववर्ती वर्ष रुपए					
1.	लागत लेखा अभिलेख के अनुसार फायदा या हानि							
	(क) लेखा परीक्षित उत्पादों/सेवाओं के लिए (ख) गैर-लेखा-परीक्षित उत्पादों/सेवाओं के लिए							
2.	जोड़ेः लागत लेखा खातों में न मानी गई आय (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)							
	ক)							
	ख)							
	ग)							
	ਬ)							

	ड़)		
	ਚ)		
	ন্ত)		
	ज)		
	ੜ)		
	অ)		
3.	घटाएः लागत लेखा खातों में न माना गया व्य	य (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	
	ক)		
	্ৰ)		
	ग)		
	घ)		
	<i>ছ</i>)		
	च)		
	ন্ত)		
	ज)		
	ੜ)		
	অ)		
4.	वित्तीय लेखा खातों एवं लागत लेखा खातों के	बीच स्टाक मूल्याकंन में अंतर	
5.	अन्य समायोजन, यदि कोई हो		
6.	वित्तीय लेखा खातों के अनुसार फायदा या हार्षि अन्य व्यापक आय शामिल नहीं है)	ने (जिसमें इंड एएस का अनुपालन	करने वाली कंपनियों के लिए
	टिप्पणः असामान्य अपव्यय, हड़ताल/तालाबंर्द आदि दर्शाए, जिनके पृथक लागत पर विचार न		त्र्यय या असामान्य प्रकृति के आय

3. उपार्जन का मूल्य संवर्धन एवं वितरण (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष रुपए	पूर्ववर्ती वर्ष रुपए
	मूल्य संवर्धन		
1.	कुल विक्रय (विक्रय विवरणी रहित)		
2.	घटाएः उत्पाद फीस आदि		
3.	शुद्ध विक्रय		
4.	जोड़ेः निर्यात प्रोत्साहन		
5.	जोड़े/घटाएः तैयार स्टाक में समायोजन		
6.	घटाएः खरीदे हुए निवेश की लागत		
	(क) उपयुक्त सामग्री की लागत		

	(ख) प्रक्रिया सामग्री/रसायन	
	(ग) स्टोर और पुर्जों की खपत	
	(घ) उपयोगिता (उदाहरणार्थ-बिजली एवं ईधन	
	(ङ) अन्य, यदि कोई हो	
	खरीदे हुए निवेश की कुल लागत	
7.	मूल्य वर्धन	
8.	जोड़ेःअन्य स्त्रोत से आय	
9.	जोड़ेः विशिष्ट, असाधारण और अन्य व्यापक आय, यदि हो	
10.	वितरण के लिए उपलब्ध उपार्जन	
	उपार्जन के वितरणः	
1.	वेतन एवं मजदूरी, सेवानिवृति फायदा आदि के रूप में कर्मचारियों को	
2.	लाभांश के रूप में शेयरधारकों को	
3.	प्रतिधारित निधि के रूप में कंपनी को	
4.	करों (विनिर्दिष्ट करें) के रूप में सरकार को	
5.	असाधारण व्यय	
6.	अन्य, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)	
7.	उपार्जन का कुल वितरण	

4. वित्तीय स्थिति एवं अनुपात विश्लेषण (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क.	वित्तीय स्थिति			
1.	शेयर पूजी (टिप्पण 1 देखें)			
2.	रिवर्स एवं अधिशेष (टिप्पण 1 देखें)			
3.	दीर्धावधि क्रेडिट रकमया (टिप्पण 1 देखें)			
4	क) कुल स्थिर आस्तियां			
	ख) निवल स्थिर आस्तियां (टिप्पण 1 देखें)			
5.	क) वर्तमान आस्तियां			
	ख) घटाएः वर्तमान उत्तर दायित्व			
	ग) शुद्ध वर्तमान आस्तियां			
6.	नियोजित पूंजी (टिप्पण 2 देखें)			
7.	शुद्ध मूल्य (टिप्पण 2 देखें)			
ख	वित्तीय निष्पादन			

1.	मूल्य वर्धन		
2.	कंपनी के परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व		
3.	करों से पूर्व फायदा (पीबीवी)		
ग.	फायदा प्रदत्ता अनुपात		
1.	नियोजित पूंजी (ख3/क6) का करों से पूर्व फायदा		
2.	शुद्ध मूल्य (ख3/क7) का करों से पूर्व फायदा		
3.	मूल्य वर्धन (ख3/ख1)		
4.	परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व (ख3/ख2) का करों से पूर्व फायदा		
घ.	अन्य वित्तीय अनुपात		
1.	ऋण साम्या अनुपात		
2.	वर्तमान आस्तियों से वर्तमान दायित्व		
3.	परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व से मूल्य वर्धन		
ड.	सक्रिय पूंजी अनुपात		
1.	कच्चा माल स्टाक से खपत	मास	
2.	स्टोर एवं पुर्जों से खपत	मास	
3.	तैयार माल स्टाक से विक्रय की लागत	मास	

टिप्पणः

- 1. इस सारणी में, उन कंपनियों के मामले में जिनके लिए भारतीय लेखांकन मानक प्रवृत्त होते हैं :
 - (क) शेयरपूंजी से 'साम्या शेयरपूंजी' अभिप्रेत है।
 - (ख) आरक्षिति और अधिशेष से 'अन्य साम्या' अभिप्रेत है।
 - (ग) दीर्घ कालीन ऋणों से 'गैर-आवर्ती देयताओं के अधीन ऋण' से अभिप्रेत है।
 - (घ) निवल स्थायी आस्तियों से 'संपत्ति, संयत्र और उपस्कर', 'चल रहा पूंजीगत निर्माण कार्य', 'ऋण शोधन क्षमता', 'अन्य अमूर्त आस्तियां', 'विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां' और 'वाहक संयंत्रों के अलावा अन्य जैविक आस्तियां' अभिप्रेत है।
- 2. प्रयुक्त पूंजी से निवल स्थायी आस्तियों का औसत (पुनः मूल्यांकन के प्रभाव को छोड़कर) और गैर-आवर्ती निवेश तथा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ और अंत में विद्यमान निवल चालू आस्तियां अभिप्रेत है।
- 3. निवल मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (57) के अधीन यथापरिभाषित है।

5. संबंधित पक्ष संव्यवहार (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम व पता	उत्पाद /सेवा का नाम	लेन-देन की प्रकृति (विक्रय /क्रय)	मात्रा	स्थानांतरण मूल्य	रकम	सामान्य मूल्य	सामान्य मूल्य स्थिर करने के लिए आधार
1.								
2.								

3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

टिप्पण 1. प्रत्येक संबंधित पक्ष एवं उत्पाद/सेवा के लिए पृथक ब्यौरे पेश किए जाएं।

टिप्पण 2. सामान्य मूल्य और उसका आधार दर्शाये बिना संबंधित पक्ष संव्यवहारों के ब्यौरे अपूर्ण सूचना माने जाएंगे।

3. अप्रत्यक्ष करों का मिलान (समग्र कंपनी के लिए)

豖.	विशिष्टियां	निर्धारणीय	उत्पाद फीस	सेवाकर	अधिभार एवं	वैट
सं.		मूल्य रु.	रुपए	रुपए	अन्य रुपए	रुपए
	देय फीस/कर					
	उत्पाद फीस					
1.	घरेलू					
2.	निर्यात					
3.	स्टाक स्थानांतरण (शुद्ध)					
4.	फीस मुक्त निकासी, अन्य आदि					
5.	कुल उत्पाद फीस (1से 4)					
6.	सेवा कर					
7.	वैट,सीएसटी आदि					
8.	अन्य राज्य कर, यदि कोई हो					
9.	कुल देय फीस/कर (5 से8)					
	भुगतान किया हुआ फीस/कर					
10.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-इनपुट					
11.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-पूंजीगत माल					
12.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-इनपुट सेवाएं					
13.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-अन्य					
14.	कुल (10 से 13)					
15.	पीएलए/कैश के माध्यम से भुगतान					

16.	भुगतान किया हुआ कुल फीस/कर (14+15)					
17.	वसूल किए हुए फीस/कर					
18.	भुगतान एवं वसूल किया हुआ फीस/कर के बीच अंतर					
19.	भुगतान किए हुए ब्याज/शास्ति/शास्ति					
	टिप्पणः ऊपर दिए हुए मद 4 संबंधी टिप्पण में पृथक रकम प्रदान करें।					

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर नाम नाम कंपनी सचिव/निदेशक निदेशक लागत लेखाकार सदस्यता/डिन संख्या डिन संख्या सदस्यता संख्या मुहर मुहर मुहर तारीख तारीख तारीख

टिप्पणः 1. जहां लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध के प्रत्येक पैरा अधीन दर्शाए गए किसी मद के लिए वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में पिछले वर्ष के आंकड़ों से अंतर है, वहां लागत लेखापरीक्षक द्वारा उसका कारण दिया जाएगा।

टिप्पणः 2. जहां, वर्तमान वर्ष या पिछले वर्ष की अवधि 12 (बारह) मास नहीं है, वहां रिपोर्ट में उसे स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।"

[फा. सं.1/40/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं।

िटप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 425(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें 31 दिसंबर, 2014 की सा.का.िन. 01(अ) द्वारा और तारीख 12 जून, 2015 की सा.का.िन. 486(अ), तारीख 14 जुलाई, 2016 की सा.का.िन. 695(अ) द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

- **G.S.R. 1498(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, namely:-
- 1. These rules may be called the Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2017.
- 2. In the Companies (cost records and audit) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (f), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2016, namely:-
 - (fa) "Indian Accounting Standards" means Indian Accounting Standards as referred to in Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

3. In the principal rules, in the Annexure, for Form CRA-1 and Form CRA-3, the following Forms shall respectively be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 2016, namely:-

"FORM CRA-1

[See rule 5(1) of the Companies (cost records and audit) Rules, 2014]

Particulars relating to the Items of Costs to be included in the Books of Accounts

1. Material Costs.-

- (a) Proper records shall be maintained showing separately all receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of raw material required for the production of goods or rendering of services under reference.
- (b) The material receipt shall be valued at purchase price including duties and taxes, freight inwards, insurance, and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited by the taxing authorities) that can be quantified with reasonable accuracy at the time of acquisition.
- (c) Finance costs incurred in connection with the acquisition of materials shall not form part of material cost.
- (d) Self-manufactured materials or captive consumption shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, share of administrative overheads relating to production but excluding share of other administrative overheads, finance cost and marketing overheads.
- (e) Spare parts shall be recognised as property, plant and equipment when they meet the definition of property, plant and equipment and depreciated accordingly. Otherwise, such items shall be classified as inventory.
- (f) Normal loss or spoilage of material prior to reaching the factory or at places where the services are provided shall be absorbed in the cost of balance materials net of amounts recoverable from suppliers, insurers, carriers or recoveries from disposal.
- (g) Losses due to shrinkage or evaporation and gain due to elongation or absorption of moisture etc., before the material is received shall be absorbed in material cost to the extent they are normal, with corresponding adjustment in the quantity.
- (h) The forex component of imported material cost shall be converted at the rate on the date of the transaction. Any subsequent change in the exchange rate till payment or otherwise shall not form part of the material cost.
- (i) Any demurrage or detention charges, or penalty levied by transport or other authorities shall not form part of the cost of materials.
- (j) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any material cost shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (k) Issues shall be valued using appropriate method as per the provisions contained in the accounting standard applicable for the time being in force.
- (1) Where materials are accounted at standard cost, the price variances related to materials shall be treated as part of material cost.
- (m) Any abnormal cost shall be excluded from the material cost.

- (n) Wherever, material costs include transportation costs, determination of costs of transportation shall be governed by paragraph number 9 on determination of cost of transportation.
- (o) Self-manufactured components and sub-assemblies or captive consumption shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, share of administrative overheads relating to production but excluding share of other administrative overheads, finance cost and marketing overheads.
- (p) The material cost of normal scrap or defectives which are rejects shall be included in the material cost of goods manufactured. The material cost of actual scrap or defectives, not exceeding the normal shall be adjusted in the material cost of good production. Material cost of abnormal scrap or defectives should not be included in material cost but treated as loss after giving credit to the realisable value of such scrap or defectives.
- (q) Material costs shall be directly traced to a cost object to the extent it is economically feasible or shall be assigned to the cost object on the basis of material quantity consumed or similar identifiable measure and valued as per above principles.
- (r) Where the material costs are not directly traceable to the cost object, the same shall be assigned on a suitable basis like technical estimates.
- (s) Where a material is processed or part manufactured by a third party according to specifications provided by the buyer, the processing or manufacturing charges payable to the third party shall be treated as part of the material cost.
- (t) Wherever part of the manufacturing operations or activity is subcontracted, the subcontract charges related to materials shall be treated as direct expenses and assigned directly to the cost object.
- (u) The cost of indirect materials shall be assigned to the various cost objects based on a suitable basis such as actual usage or technical norms or a similar identifiable measure.
- (v) The cost of materials like catalysts, dies, tools, moulds, patterns etc. which are relatable to production over a period of time shall be amortised over the production units benefited by such cost.
- (w) The cost of indirect material with life exceeding one year shall be included in cost over the useful life of the material.

2. Employee Cost.-

- (a) Proper records shall be maintained in respect of employee costs in such a manner as to enable the company to book these expenses cost centre wise or department wise with reference to goods or services under reference and to furnish necessary particulars. Where the employees work in such a manner that it is not possible to identify them with any specific cost centre or service centre or department, the employees cost shall be apportioned to the cost centre or service centres or departments on equitable and reasonable basis and applied consistently.
- (b) Employee Cost shall be ascertained taking into account the gross pay including all allowances payable along with the cost to the employer of all the benefits, including the cost of retirement benefits charged in the financial statements in an accounting period. In case of companies to which Indian Accounting Standards apply, any re-measurement of such costs recognised in other comprehensive income shall not form part of the employee cost.
- (c) Bonus whether payable as a statutory minimum or on a sharing of surplus shall be treated as part of employee cost. Ex gratia payable in lieu of or in addition to bonus shall also be treated as part of the employee cost.
- (d) Remuneration payable to managerial personnel including Executive Directors on the Board and other officers of a corporate body under a statute shall be considered as part of the employee cost of the year

under reference whether the whole or part of the remuneration is computed as a per cent. of profits. Remuneration paid to non-executive directors shall not form part of employee cost but shall form part of administrative overheads.

- (e) Separation costs related to voluntary retirement, retrenchment, termination and other related matters shall be amortised over the period benefitting from such costs.
- (f) Employee cost shall not include imputed costs.
- (g) Cost of idle time is ascertained by the idle hours multiplied by the hourly rate applicable to the idle employee or a group of employees.
- (h) Where employee cost is accounted at standard cost, variances due to normal reasons related to employee cost shall be treated as part of employee cost. Variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (i) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any employee cost shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (j) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the employee cost.
- (k) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the employee cost.
- (1) The cost of free housing, free conveyance and any other similar benefits provided to an employee shall be determined at the total cost of all resources consumed in providing such benefits.
- (m) Any recovery from the employee towards any benefit provided, namely, housing shall be reduced from the employee cost.
- (n) Any change in the cost accounting principles applied for the determination of the employee cost should be made only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an enterprise.
- (o) Where the employee services are traceable to a cost object, such employees' cost shall be assigned to the cost object on the basis such as time consumed or number of employees engaged or other related basis or similar identifiable measure.
- (p) While determining whether a particular employee cost is chargeable to a separate cost object, the principle of materiality shall be adhered to.
- (q) Where the employee costs are not directly traceable to the cost object, the same shall be assigned on suitable basis like estimates of time based on time study.
- (r) The amortised separation costs related to voluntary retirement, retrenchment, and termination or other related matters for the period shall be treated as indirect cost and assigned to the cost objects in an appropriate manner provided that unamortised amount related to discontinued operations, shall not be treated as employee cost.
- (s) Recruitment costs, training cost and other such costs shall be treated as overheads and dealt with accordingly.
- (t) Overtime premium shall be assigned directly to the cost object or treated as overheads depending on the economic feasibility and the specific circumstance requiring such overtime.

(u) Idle time cost shall be assigned direct to the cost object or treated as overheads depending on the economic feasibility and the specific circumstances causing such idle time.

3. Utilities.-

- (a) Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each major utility such as power, water, steam, effluent treatment, and other related utilities produced and consumed by the different cost centres in such detail as to have particulars for each utility separately.
- (b) Each type of utility shall be treated as a distinct cost object.
- (c) Cost of utilities purchased shall be measured at cost of purchase including duties and taxes, transportation cost, insurance and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited) that can be quantified with reasonable accuracy at the time of acquisition.
- (d) Cost of self-generated utilities for own consumption shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses and factory overheads.
- (e) In case of utilities generated for the purpose of inter unit transfers, the distribution cost incurred for such transfers shall be added to the cost of utilities determined as above.
- (f) Cost of utilities generated for the intercompany transfers shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, distribution cost and share of administrative overheads.
- (g) Cost of utilities generated for the sale to outside parties shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, distribution cost, share of administrative overheads and marketing overheads. The sale value of such utilities shall also include the margin.
- (h) Finance costs incurred in connection with the utilities shall not form part of cost of utilities.
- (i) The cost of utilities shall include the cost of distribution of such utilities. The cost of distribution will consist of the cost of delivery of utilities up to the point of consumption.
- (j) Cost of utilities shall not include imputed costs.
- (k) Where cost of utilities is accounted at standard cost, the price variances related to utilities shall be treated as part of cost of utilities and the portion of usage variances due to normal reasons shall be treated as part of cost of utilities. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (1) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any cost of utilities shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (m) The cost of production and distribution of utilities shall be determined based on the normal capacity or actual capacity utilisation whichever is higher and unabsorbed cost, if any, shall be treated as abnormal cost. Cost of a stand-by utility shall include the committed costs of maintaining such a utility.
- (n) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of utilities.
- (o) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the cost of utilities.
- (p) Credits or recoveries relating to the utilities including cost of utilities provided to outside parties, material and quantifiable, shall be deducted from the total cost of utility to arrive at the net cost of utility.

- (q) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the cost of utilities shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (r) While assigning cost of utilities, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
- (s) Where the cost of utilities is not directly traceable to cost object, it shall be assigned on the most appropriate basis.
- (t) The most appropriate basis of distribution of cost of a utility to the departments consuming services is to be derived from usage parameters.

4. Direct Expenses.-

- (a) Proper records shall be maintained in respect of direct expenses in such a manner as to enable company to book these expenses cost centre wise or cost abject or department wise with reference to goods or services under reference and to furnish necessary particulars.
- (b) Direct expenses incurred for the use of bought out resources shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited.
- (c) Other direct expenses shall be determined on the basis of amount incurred in connection therewith.
- (d) Direct expenses paid or incurred in lump-sum or which are in the nature of 'one time' payment, shall be amortised on the basis of the estimated output or benefit to be derived from such direct expenses.
- (e) If an item of direct expenses does not meet the test of materiality, it can be treated as part of overheads.
- (f) Finance costs incurred in connection with the self-generated or procured resources shall not form part of direct expenses. Direct expenses shall not include imputed costs.
- (g) Where direct expenses are accounted at standard cost, variances due to normal reasons shall be treated as part of the direct expenses. Variances due to abnormal reasons shall not form part of the direct expenses.
- (h) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any direct expenses shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (i) Any abnormal portion of the direct expenses where it is material and quantifiable shall not form part of the direct expenses.
- (j) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the direct expenses.
- (k) Credits or recoveries relating to the direct expenses, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net direct expenses.
- (1) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the direct expenses should be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (m) Direct expenses that are directly traceable to the cost object shall be assigned to that cost object.

5. Repairs and Maintenance.-

(a) Proper records showing the expenditure incurred by the workshop, tool room and on repairs and maintenance in the various cost centres or departments shall be maintained under different heads.

- (b) Repairs and maintenance cost shall be the aggregate of direct and indirect cost relating to repairs and maintenance activity. Direct cost shall include the cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other identifiable resources consumed in such activity. Indirect cost shall include the cost of resources common to various repairs and maintenance activities such as manpower, equipment usage and other costs allocable to such activities.
- (c) Cost of in-house repairs and maintenance activity shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such activity.
- (d) Cost of repairs and maintenance activity carried out by outside contractors inside the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other costs incurred by the entity for such jobs.
- (e) Cost of repairs and maintenance jobs carried out by contractor at its premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of other resources provided to the contractors.
- (f) Cost of repairs and maintenance jobs carried out by outside contractors shall include charges made by the contractor and cost of own materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other costs used in such jobs.
- (g) Each type of repairs and maintenance shall be treated as a distinct activity, if material and identifiable.
- (h) Cost of repairs and maintenance activity shall be measured for each major asset category separately.
- (i) Cost of spares replaced which do not enhance the future economic benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance shall be included under repairs and maintenance cost.
- (j) The cost of major overhaul shall be amortised on a rational basis.
- (k) Finance costs incurred in connection with the repairs and maintenance activities shall not form part of repairs and maintenance costs.
- (1) Repairs and maintenance costs shall not include imputed costs.
- (m) Price variances related to repairs and maintenance, where standard costs are in use, shall be treated as part of repairs and maintenance cost. The portion of usage variances attributable to normal reasons shall be treated as part of repairs and maintenance cost. Usage variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from repairs and maintenance cost.
- (n) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to repairs and maintenance activity shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (o) Any repairs and maintenance cost resulting from some abnormal circumstances, namely, major fire, explosions, flood and similar events, if material and quantifiable, shall not form part of the repairs and maintenance cost.
- (p) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the repairs and maintenance cost.
- (q) Credits or recoveries relating to the repairs and maintenance activity, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net repairs and maintenance cost.
- (r) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the repairs and maintenance cost should be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.

- (s) Repairs and maintenance costs shall be traced to a cost object to the extent economically feasible.
- (t) Where the repairs and maintenance cost is not directly traceable to cost object, it shall be assigned based on either of the following the principles of (1) Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and (2) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- (u) If the repairs and maintenance cost (including the share of the cost of reciprocal exchange of services) is shared by several cost objects, the related cost shall be measured as an aggregate and distributed among the cost objects.

6. Fixed Assets and Depreciation.-

- (a) Proper and adequate records shall be maintained for assets used for production of goods or rendering of services under reference in respect of which depreciation or amortisation has to be provided for. These records shall, inter-alia, indicate grouping of assets under each good or service, the cost of acquisition of each item of asset including installation charges, date of acquisition and rate of depreciation.
- (b) The depreciation and amortisation shall be the amount recognised as an expense for the year in the financial statements, which shall be measured as per the provisions contained in Schedule II of the Companies Act, 2013 and the accounting standards applicable for the time being in force. The amount of Depreciation and Amortisation not recognised as expense in the financial statements shall be treated as a non-cost item.
- (c) Depreciation on an asset which is temporarily retired from production of goods and services shall be considered as abnormal cost for the period when the asset is not in use.
- (d) Impairment loss on assets shall be excluded from cost of production/service.
- (e) Spare parts, stand-by equipment and servicing equipment shall be recognised as property, plant and equipment when they meet the definition of property, plant and equipment and depreciated accordingly. Otherwise, such items shall be classified as inventory.
- (f) Depreciation shall be traced to the cost object to the extent economically feasible.
- (g) Where the depreciation is not directly traceable to cost object, it shall be assigned based on either of the following two principles; namely:-
 - Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 - ii) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

7. Overheads.-

- (a) Proper records shall be maintained for various items of indirect expenses comprising overheads pertaining to goods or services under reference. These expenses shall be analysed, classified and grouped according to functions.
- (b) Overheads representing procurement of resources shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discounts), taxes and duties refundable or to be credited.
- (c) Overheads other than those referred to above shall be determined on the basis of cost incurred in connection therewith.
- (d) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the overheads.

- (e) Finance costs incurred in connection with procured or self-generated resources shall not form part of overheads.
- (f) Overheads shall not include imputed cost.
- (g) Overhead variances attributable to normal reasons shall be treated as part of overheads. Overhead variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from overheads.
- (h) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to overheads shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (i) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the overheads.
- (j) Credits or recoveries relating to the overheads, material and quantifiable, shall be deducted from the total overhead to arrive at the net overheads. Where the recovery exceeds the total overheads, the balance recovery shall be treated as other income.
- (k) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the overheads shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an entity.
- (1) While assigning overheads, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle. The cost which can be traced directly to a cost object shall be directly assigned.
- (m) Overheads shall be classified according to functions, viz., works, administration, selling and distribution, head office, corporate etc.
- (n) Assignment of overheads to the cost objects shall be based on either of the following two principles: (1)
 Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 (2) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- (o) The variable production overheads shall be absorbed to products or services based on actual capacity utilisation.
- (p) The fixed production overheads shall be absorbed based on the normal capacity.
- (q) Assignment of administration overheads shall be in accordance with paragraph number 8.
- (r) Marketing overheads that can be identified to a product or service shall be assigned to that product or service.
- (s) Marketing overheads that cannot be identified to a product or service shall be assigned to the products or services on the most appropriate basis.

8. Administrative Overheads.-

- (a) Administrative overheads shall be the aggregate of cost of resources consumed in activities relating to general management and administration of an organisation.
- (b) In case of leased assets, if the lease is an operating lease, the entire rentals shall be included in the administrative overheads. If the lease is a financial lease, the finance cost portion shall be segregated and treated as part of finance costs.
- (c) The cost of software (developed in house, purchased, licensed or customised), including up-gradation cost shall be amortised over its estimated useful life.

- (d) The cost of administrative services procured from outside shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited.
- (e) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any administrative overheads shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (f) Administrative overheads shall not include any abnormal administrative cost.
- (g) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the administrative overheads.
- (h) Credits or recoveries relating to the administrative overheads including those rendered without any consideration, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net administrative overheads.
- (i) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the administrative overheads should be made only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (j) While assigning administrative overheads, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
- (k) Assignment of administrative overheads to the cost objects shall be based on either of the following two principles; namely:-
 - (i) Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost.
 - (ii) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

9. Transportation Cost.-

- (a) Proper records shall be maintained for recording the actual cost of transportation showing each element of cost such as freight, cartage, transit insurance and others after adjustment for recovery of transportation cost. Abnormal costs relating to transportation, if any, are to be identified and recorded for exclusion of computation of average transportation cost.
- (b) In case of a manufacturer having his own transport fleet, proper records shall be maintained to determine the actual operating cost of vehicles showing details of various elements of cost such as salaries and wages of driver, cleaners and others, cost of fuel, lubricant grease, amortized cost of tyres and battery, repairs and maintenance, depreciation of the vehicles, distance covered and trips made, goods hauled and transported to the depot.
- (c) In case of hired transport charges incurred for despatch of goods, complete details shall be recorded as to date of despatch, type of transport used, description of the goods, destination of buyer, name of consignee, challan number, quantity of goods in terms of weight or volume, distance involved, amount paid and other related details.
- (d) Records shall be maintained separately for inward and outward transportation cost specifying the details particulars of goods despatched, name of supplier or recipient, amount of freight etc.
- (e) Separate records shall be maintained for identification of transportation cost towards inward movement of material (procurement) and transportation cost of outward movement of goods removed or sold for both home consumption and export.
- (f) Records for transportation cost from factory to depot and thereafter shall be maintained separately.
- (g) Records for transportation cost for carrying any material or product to job-workers place and back shall be maintained separately so as include the same in the transaction value of the product.

- (h) Records for transportation cost for goods involved exclusively for trading activities shall be maintained separately and the same shall not be included for claiming any deduction for calculating assessable value excisable goods cleared for home consumption.
- (i) Records of transportation cost directly allocable to a particular category of products shall be maintained separately so that allocation can be made.
- (j) For common transportation cost both for own fleet or hired ones, proper records for basis of apportionment shall be maintained.
- (k) Records for transportation cost for exempted goods, excisable goods cleared for export shall be maintained separately.
- (l) Separate records of cost for mode of transportation other than road like ship or air are to be maintained, which shall be included in total cost of transportation.
- (m) Inward transportation costs shall form the part of the cost of procurement of materials which are to be identified for proper allocation or apportionment to the materials or products.
- (n) Outward transportation cost shall form the part of the cost of sale and shall be allocated or apportioned to the materials and goods on a suitable basis.
- (o) The following basis shall be used, in order of priority, for apportionment of outward transportation cost depending upon the nature of products, unit of measurement followed and type of transport used, namely:
 - i) Weight;
 - ii) Volume of goods;
 - iii) Tonne-Km;
 - iv) Unit or Equivalent unit;
 - v) Value of goods;
 - vi) Per cent. of usage of space.
- (p) Once a basis of apportionment is adopted, the same shall be followed consistently.
- (q) For determining the transportation cost per unit, distance shall be factored in to arrive at weighted average cost.
- (r) Abnormal and non-recurring cost shall not be a part of transportation cost.

10. Royalty and Technical Know-how.-

- (a) Adequate records shall be maintained showing royalty or technical know-how fee including other recurring or non-recurring payments of similar nature, if any, made for the goods or services under reference to collaborators or technology suppliers in terms of agreements entered into with them.
- (b) Royalty and technical know-how fee paid or incurred in lump-sum or which are in the nature of 'one—time' payment, shall be amortised on the basis of the estimated output or benefit to be derived from the related asset. Amortisation of the amount of royalty or technical know-how fee paid for which the benefit is ensued in the current or future periods shall be determined based on the production or service volumes estimated for the period over which the asset is expected to benefit the entity.
- (c) Amount of the royalty and technical know-how fee shall not include finance costs and imputed costs.
- (d) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to amount of royalty and technical know-how fee shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.

- (e) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the amount of royalty and technical know-how fee.
- (f) Credits or recoveries relating to the amount royalty and technical know-how fee, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net amount of royalty and technical know-how fee.
- (g) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the amount of royalty and technical know-how fee should be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (h) Royalty and technical know-how fee that is directly traceable to a cost object shall be assigned to that cost object. In case such fee is not directly traceable to a cost object then it shall be assigned on any of the following basis, namely:
 - i) Units produced;
 - ii) Units sold; or
 - iii) Sales value.
- (i) The amount of royalty fee paid for mining rights shall form part of the cost of material.
- (j) The amount of royalty and technical know-how fee shall be assigned on the nature or purpose of such fee. The amount of royalty and technical know-how fee related to product or process know how shall be treated as cost of production; if it is related to trademarks or brands shall be treated as cost of sales.

11. Research and Development Expenses.-

- (a) Research and development costs shall include all the costs that are directly traceable to research or development activities or that can be assigned to research and development activities strictly on the basis of (a) cause and effect or (b) benefits received. Such costs shall include the following elements, namely:
 - i. The cost of materials and services consumed in research and development activities;
 - ii. Cost of bought out materials and hired services as per invoice or agreed price including duties and taxes directly attributable thereto net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited:
 - iii. The salaries, wages and other related costs of personnel engaged in research and development activities;
 - iv. The depreciation of equipment and facilities, and other tangible assets, and amortisation of intangible assets to the extent that they are used for research and development activities;
 - v. Overhead costs, other than general administrative costs, related to research and development activities;
 - vi. Costs incurred for carrying out research and development activities by other entities and charged to the entity;
 - vii. Expenditure incurred in securing copyrights or licences;
 - viii. Expenditure incurred for developing computer software;
 - ix. Costs incurred for the design of tools, jigs, moulds and dies; and
 - x. Other costs that can be directly attributed to research and development activities and can be identified with specific projects.

- (b) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to research and development activity shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (c) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the research and development cost.
- (d) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the research and development cost.
- (e) Research and development costs shall not include imputed costs.
- (f) Credits or recoveries relating to research and development cost, if material and quantifiable, including from the sale of output produced from the research and development activity shall be deducted from the research and development cost.
- (g) Research and development costs attributable to a specific cost object shall be assigned to that cost object directly. Research and development costs that are not attributable to a specific product or process shall not form part of the product cost.
- (h) Development cost which results in the creation of an intangible asset shall be amortised over its useful life. Assignment of development costs shall be based on the principle of "benefits received".
- (i) Research and development costs incurred for the development and improvement of an existing process or product shall be included in the cost of production. In case the research and development activity related to the improvement of an existing process or product continues for more than one accounting period, the cost of the same shall be accumulated and amortised over the estimated period of use of the improved process or estimated period over which the improved product will be produced by the entity after the commencement of commercial production, as the case may be, if the improved process or product is distinctly different from the existing process or product and the product is marketed as a new product. The amount allocated to a particular period shall be included in the cost of production of that period. If the expenditure is only to improve the quality of the existing product or minor modifications in attributes, the principle shall not be applied.
- (j) Development costs attributable to a saleable service namely; providing technical know-how to outside parties shall be accumulated separately and treated as cost of providing the service.

12. Quality Control Expenses.-

- (a) Adequate records shall be maintained to indicate the expenses incurred in respect of quality control department or cost centre or service centre for goods or services under reference. Where these services are also utilised for other goods or services of the company, the basis of apportionment to goods or services under reference and to other goods or services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.
- (b) Quality control cost incurred in-house shall be the aggregate of the cost of resources consumed in the Quality control activities of the entity. The cost of resources procured from outside shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discounts), taxes and duties refundable or to be credited by the Tax Authorities. Such cost shall include cost of conformance to quality, namely, (a) prevention cost; and (b) appraisal cost.
- (c) Identification of quality control costs shall be based on traceability in an economically feasible manner.
- (d) Quality control costs other than those referred to above shall be determined on the basis of amount incurred in connection therewith.

- (e) Finance costs incurred in connection with the self-generated or procured resources shall not form part of quality control cost.
- (f) Quality control costs shall not include imputed costs.
- (g) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any quality control cost shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (h) Any abnormal portion of the quality control cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of quality control.
- (i) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the quality control cost.
- (j) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the quality control cost shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (k) Quality control cost that is directly traceable to the cost object shall be assigned to that cost object. Assignment of quality control cost to the cost objects shall be based on benefits received by them on the principles, namely:-
 - (i) Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 - (ii) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

13. Pollution Control Expenses.-

- (a) Adequate records shall be maintained to indicate the expenses incurred in respect of pollution control. The basis of apportionment to goods or services under reference and to other goods or services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.
- (b) Pollution Control costs shall be the aggregate of direct and indirect cost relating to Pollution Control activity. Direct cost shall include the cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, resources for testing and certification and other identifiable resources consumed in activities such as waste processing, disposal, remediation and others. Indirect cost shall include the cost of resources common to various pollution control activities such as pollution control registration and such like expenses.
- (c) Costs of pollution control which are internal to the entity should be accounted for when incurred. They should be measured at the historical cost of resources consumed.
- (d) Future remediation or disposal costs which are expected to be incurred with reasonable certainty as part of onerous contract or constructive obligation, legally enforceable shall be estimated and accounted based on the quantum of pollution generated in each period and the associated cost of remediation or disposal in future.
- (e) Contingent future remediation or disposal costs e.g. those likely to arise on account of future legislative changes on pollution control shall not be treated as cost until the incidence of such costs become reasonably certain and can be measured.
- (f) External costs of pollution which are generally the costs imposed on external parties including social costs are difficult to estimate with reasonable accuracy and are excluded from general purpose cost statements.
- (g) Social costs of pollution are measured by economic models of cost measurement. The cost by way of compensation by the polluting entity either under future legislation or under social pressure cannot be

- quantified by traditional models of cost measurement. They are best kept out of general purpose cost statements.
- (h) Cost of in-house pollution control activity shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such activity.
- (i) Cost of pollution control activity carried out by outside contractors inside the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other costs incurred by the entity for such jobs.
- (j) Cost of pollution control jobs carried out by contractor at its premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of other resources provided to the contractors.
- (k) Cost of pollution control jobs carried out by outside contractors shall include charges made by the contractor and cost of own materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other costs used in such jobs.
- (1) Each type of pollution control namely, water, air, soil pollution shall be treated as a distinct activity, if material and identifiable.
- (*m*) Finance costs incurred in connection with the pollution control activities shall not form part of pollution control costs.
- (n) Pollution control costs shall not include imputed costs.
- (o) Price variances related to pollution control, where standard costs are in use, shall be treated as part of pollution control cost. The portion of usage variances attributable to normal reasons shall be treated as part of pollution control cost. Usage variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from pollution control cost.
- (p) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to pollution control activity shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (q) Any pollution control cost resulting from abnormal circumstances, if material and quantifiable, shall not form part of the pollution control cost.
- (r) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the pollution control cost.
- (s) Credits or recoveries relating to the pollution control activity, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net pollution control cost.
- (t) Research and development cost to develop new process, new products or use of new materials to avoid or mitigate pollution shall be treated as research and development costs and not included under pollution control costs. Development costs incurred for commercial development of such product, process or material shall be included in pollution control costs.
- (u) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the pollution control cost should be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (v) Pollution control costs shall be traced to a cost object to the extent economically feasible.
- (w) Direct costs of pollution control such as treatment and disposal of waste shall be assigned directly to the product, where traceable economically.

- (x) Where these costs are not directly traceable to the product but are traceable to a process which causes pollution, the costs shall be assigned to the products passing through the process based on the quantity of the pollutant generated by the product.
- (y) Where the pollution control cost is not directly traceable to cost object, it shall be treated as overhead and assigned based on either of the following two principles; namely:-
 - (i) Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost; and
 - (ii) Benefits received overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

14. Service Department Expenses.-

- (a) Proper records shall be maintained in respect of service departments, that is, cost centres which primarily provides auxiliary services across the enterprise, to indicate expenses incurred in respect of each such service cost centre like engineering, work shop, designing, laboratory, safety, transport, computer cell, welfare and other related centres.
- (b) Each identifiable service cost centre shall be treated as a distinct cost object for measurement of the cost of services subject to the principle of materiality.
- (c) Cost of service cost centre shall be the aggregate of direct and indirect cost attributable to services being rendered by such cost centre.
- (d) Cost of in-house services shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such service.
- (e) Cost of other resources shall include related overheads.
- (f) Cost of services rendered by contractors within the facilities of the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources provided to the contractors for such services.
- (g) Cost of services rendered by contractors at their premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of resources provided to the contractors.
- (h) Cost of services for the purpose of inter unit transfers shall also include distribution costs incurred for such transfers.
- (i) Cost of services for the purpose of inter-company transfers shall also include distribution cost incurred for such transfers and administrative overheads.
- (j) Cost of services rendered to outside parties shall also include distribution cost incurred for such transfers, administrative overheads and marketing overheads.
- (k) Finance costs incurred in connection with the service cost centre shall not form part of the cost of service cost centre.
- (1) The cost of service cost centre shall not include imputed costs.
- (m) Where the cost of service cost centre is accounted at standard cost, the price and usage variances related to the services cost centre shall be treated as part of cost of services. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (n) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to any service cost centre shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.

- (o) The cost of production and distribution of the service shall be determined based on the normal capacity or actual capacity utilisation whichever is higher and unabsorbed cost, if any, shall be treated as abnormal cost. Cost of a Stand-by service shall include the committed costs of maintaining such a facility for the service.
- (p) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of the service cost centre.
- (q) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the cost of the service cost centre.
- (r) Credits or recoveries relating to the service cost centre including charges for services rendered to outside parties, material and quantifiable, shall be reduced from the total cost of that service cost centre.
- (s) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the cost of service cost centre shall be made, only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an enterprise.
- (t) While assigning cost of services, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
- (u) Where the cost of services rendered by a service cost centre is not directly traceable to a cost object, it shall be assigned on the most appropriate basis.
- (v) The most appropriate basis of distribution of cost of a service cost centre to the cost centres consuming services is to be derived from logical parameters which could be related to the usage of the service rendered. The parameter shall be equitable, reasonable and consistent.

15. Packing Expenses.-

- (a) Proper records shall be maintained separately for domestic and export packing showing the quantity and cost of various packing materials and other expenses incurred on primary or secondary packing indicating the basis of valuation.
- (b) The packing material receipts should be valued at purchase price including duties and taxes, freight inwards, insurance, and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited) that can be quantified at the time of acquisition.
- (c) Finance costs directly incurred in connection with the acquisition of packing material shall not form part of packing material cost.
- (d) Self-manufactured packing materials shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, job charges, factory overheads including share of administrative overheads comprising factory management and administration and share of research and development cost incurred for development and improvement of existing process or product.
- (e) Normal loss or spoilage of packing material prior to receipt in the factory shall be absorbed in the cost of balance materials net of amounts recoverable from suppliers, insurers, carriers or recoveries from disposal.
- (f) The forex component of imported packing material cost shall be converted at the rate on the date of the transaction. Any subsequent change in the exchange rate till payment or otherwise shall not form part of the packing material cost.
- (g) Any demurrage, detention charges or penalty levied by the transport agency or any authority shall not form part of the cost of packing materials.

- (h) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to packing material shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (i) Issue of packing materials shall be valued using appropriate method as per the provisions contained in the accounting standard applicable for the time being in force.
- (j) Wherever, packing material costs include transportation costs, determination of costs of transportation shall be in accordance with paragraph number 9 on determination of cost of transportation.
- (k) Packing material costs shall not include imputed costs.
- (1) Where packing materials are accounted at standard cost, the price variances related to such materials shall be treated as part of packing material cost and the portion of usage variances due to normal reasons shall be treated as part of packing material cost. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (m) The normal loss arising from the issue or consumption of packing materials shall be included in the packing materials cost.
- (n) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall be excluded from the packing material cost.
- (o) The credits or recoveries in the nature of normal scrap arising from packing materials if any, should be deducted from the total cost of packing materials to arrive at the net cost of packing materials.
- (p) Packing material costs shall be directly traced to a cost object to the extent it is economically feasible.
- (q) Where the packing material costs are not directly traceable to the cost object, these may be assigned on the basis of quantity consumed or similar measures like technical estimates.
- (r) The packing material cost of reusable packing shall be assigned to the cost object taking into account the number of times or the period over which it is expected to be reused.
- (s) Cost of primary packing materials shall form part of the cost of production.
- (t) Cost of secondary packing materials shall form part of distribution overheads.

16. Finance Costs.-

- (a) Finance costs are interest and other costs incurred by an entity in connection with the financing arrangements and shall be measured in accordance with the accounting standards applicable for the time being in force.
- (b) Finance costs incurred shall be identified for
 - i) acquisition or construction or production of qualifying assets including fixed assets; and
 - ii) Other finance costs for production of goods or operations or services rendered which cannot be classified as qualifying assets.
- (c) Finance costs directly attributable to the acquisition or construction or production of a qualifying asset shall be included in the cost of the asset.
- (d) Finance costs shall not include imputed costs.
- (e) Subsidy or grant or incentive and any such payment received or receivable with respect to finance costs shall be reduced from cost of the cost object in the financial year when such subsidy or grant or incentive and any such payment is recognised as income.
- (f) Penal interest for delayed payment, fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the finance costs. In case the company delays the

payment of statutory dues beyond the stipulated date, interest paid for delayed payment shall not be treated as penal interest.

- (g) Interest paid for or received on investment shall not form part of the finance costs for production of goods or operations or services rendered;
- (h) Assignment of finance costs to the cost objects shall be based on either of the following two principles; namely:-
 - (i) Cause and Effect Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 - (ii) Benefits received to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

17. Any other item of Cost.-

Proper records shall be maintained for any other item of cost being indispensable and considered necessary for inclusion in cost records for calculating cost of production of goods or rendering of services, cost of sales, margin in total and per unit of the goods or services under reference.

18. Capacity Determination.-

- (a) Capacity shall be determined in terms of units of production or services or equivalent machine or man hours.
- (b) Installed capacity is determined based on
 - i) Manufacturers' technical specifications;
 - ii) Capacities of individual or interrelated production centres;
 - iii) Operational constraints or capacity of critical machines; or
 - iv) Number of shifts
- (c) In case manufacturers' technical specifications are not available, the estimates by technical experts on capacity under ideal conditions shall be considered for determination of installed capacity. In case any production facility is added or discarded the installed capacity shall be reassessed from the date of such addition or discard. In case the same is reassessed as per direction of the Government, it shall be in accordance with the principles laid down in the said directives. In case of improvement in the production process, the installed capacity shall be reassessed from the date of such improvement.
- (d) Normal capacity shall be determined vis-a-vis installed capacity after carrying out adjustments for:
 - i) Holidays, normal shut down days and normal idle time;
 - ii) Normal time lost in batch change over;
 - iii) Time lost due to preventive maintenance and normal break downs of equipments;
 - iv) Loss in efficiency due to ageing of the equipment; or
 - v) Number of shifts
- (e) Capacity utilisation is the actual production measured as a per cent. of installed capacity.

19. Work-in-Progress and Finished Stock.-

The method followed for determining the cost of work-in-progress and finished stock of the goods and for services under delivery or in-process shall be appropriate and shall be indicated in the cost records so as to reveal the cost element that have been taken into account in such computation. All conversion costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition shall be taken into account while computing the cost of work-in-progress and finished stock. The method adopted for determining the cost of work-in progress and finished goods shall be followed consistently.

20. Captive Consumption.-

If the goods or services under reference are used for captive consumption, proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each such goods or services transferred to other departments or cost centres or units of the company for self-consumption and sold to outside parties separately.

21. By-Products and Joint Products.-

- a) Proper records shall be maintained for each item of by-product, if any, produced showing the receipt, issues and balances, both in quantity and value. The basis adopted for valuation of by-product for giving credit to the respective process shall be equitable and consistent and should be indicated in cost records. Records showing the expenses incurred on further processing, if any, and actual sales realisation of by-product shall be maintained. The proper records shall be maintained in respect of credits or recoveries from the disposal of by-products.
- b) The cost up to the point of separation of products or services shall be apportioned to joint products or services on reasonable and equitable basis and shall be applied consistently. The basis on which such joint costs are apportioned to different products or services arising from the process shall be indicated in the cost records. Proper records shall be maintained in respect of credits or recoveries from the disposal of joint products or services.

22. Adjustment of Cost Variances.-

Where the company maintains cost records on any basis other than actual such as standard costing, the records shall indicate the procedure followed by the company in working out the cost of the goods or services under such system. The cost variances shall be shown against separate heads and analysed into material, labour, overheads and further segregated into quantity, price and efficiency variances. The method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the goods or services shall be indicated clearly in the cost records. The reasons for the variances shall be duly explained in the cost records and statements.

23. Reconciliation of Cost and Financial Accounts.

The cost statements shall be reconciled with the financial statements for the financial year specifically indicating the expenses or incomes not considered in the cost records or statements so as to ensure accuracy and to adjust the profit of the goods or services under reference with the overall profit of the company. The variations, if any, shall be clearly indicated and explained.

24. Related Party Transactions.-

- (a) "Related party" means related party as defined under clause 76 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (b) "Normal price" means price charged for comparable and similar products in the ordinary course of trade and commerce where the price charged is the sole consideration of sale and such sale is not made to a related party. Normal price can be construed to be a price at which two unrelated and non-desperate parties would agree to a transaction and where such transaction is not clouded due to the proximity of the parties to the transaction and free from influence though the parties may have shared interest.
- (c) The basis adopted to determine normal price shall be classified as under:
 - i) Comparable uncontrolled price method;
 - ii) Resale price method;
 - iii) Cost plus method;
 - iv) Profit split method;
 - v) Transactional net margin method; or

- vi) Any other method, to be specified.
- (d) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to a company termed "related party relationship" and vice-a-versa, records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understanding reached in respect of -
 - (i) purchase and sale of raw materials, finished goods, rendering of services, process materials and rejected goods including scraps, and other related materials;
 - (ii) utilisation of plant facilities and technical know-how;
 - (iii) supply of utilities and any other services;
 - (iv) administrative, technical, managerial or any other consultancy services;
 - (v) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; and
 - (vi) any other payment related to the production of goods or rendering of services under reference.
- (e) These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such goods or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to goods or services under reference.

25. Expenses or Incentives on Exports.-

- (a) Proper records showing the expenses incurred on the export sales, if any, of the goods or services under reference shall be separately maintained so that the cost of export sales can be determined correctly. Separate cost statements shall be prepared for goods or services exported giving details of export expenses incurred or incentive earned.
- (b) Proper records shall be maintained giving details of export commitments license-wise and the fulfilment of these commitments giving the reasons for non-compliance, if any. In case, duty free imports are made, the cost statements shall reflect this fact. If the duty free imports have been made after actual production, the statement shall reflect this fact also.

26. Production Records.-

Quantitative records of all finished goods (packed or unpacked) or services rendered showing production, issues for sales and balances of different type of the goods or services under reference, shall be maintained. The quantitative details of production of goods or services rendered shall be maintained separately for self-produced, third party on job work, loan license basis etc.

27. Sales Records.-

Separate details of sales shall be maintained for domestic sales at control price, domestic sales at market price, export sales under advance license, export sales under other obligations, export sales at market price, and sales to related party or inter unit transfer. In case of services, details of domestic delivery or sales at control price, domestic delivery or sales at market price, export delivery or sales under advance license, export delivery or sales under other obligations, export delivery or sales under market price, and delivery or sales to related party or inter unit transfer. Such details shall be maintained separately for each plant or unit wise or service centre wise for total as well as per unit sales realisation.

28. Cost Statements.-

(a) Cost statements (monthly, quarterly and annually) showing quantitative information in respect of each good or service under reference shall be prepared showing details of available capacity, actual production, production as per excise records, capacity utilisation (in-house), stock purchased for trading, stock and other adjustments, quantity available for sale, wastage and actual sale during current financial year and previous year.

- (b) Such statements shall also include details in respect of all major items of costs constituting cost of production of goods and services, cost of sales of goods or services and margin in total as well as per unit of the goods and services. The goods or services emerging from a process, which forms raw material or an input material or service for a subsequent process, shall be valued at the cost of production or cost of service up to the previous stage.
- (c) Cost statements (monthly, quarterly and annually) in respect of reconciliation of indirect taxes showing details of total clearances of goods or services, assessable value, duties or taxes paid, CENVAT or VAT or Service Tax credit utilised, duties or taxes recovered and interest or penalty paid.
- (d) If the company is operating more than one plant, factory or service centre, separate cost statements as specified above shall be prepared in respect of each plant, factory or service centre.
- (e) Any other statement or information considered necessary for suitable presentation of costs and profitability of goods or services produced by the company shall also be prepared.

29. Statistical Records.-

- (a) The records regarding available machine hours or direct labour hours in different production departments and actually utilised shall be maintained for production of goods or rendering of services under reference and shortfall suitably analysed. Suitable records for computation of idle time of machines or labour shall also be maintained and analysed.
- (b) Proper records shall be maintained to enable company to identify the capital employed, net fixed assets and working capital separately for the production of goods or rendering of services under reference and other goods or services to the extent such elements are separately identifiable. Non-identifiable items shall be allocated on a suitable and reasonable basis to different goods or services. Fresh investments on fixed assets for production of goods or rendering of services under reference that have not contributed to the production of goods or rendering of services during the relevant period or year shall be indicated in cost records. The records shall, in addition, show assets added as replacement and those added for increasing existing capacity.

30. Records of Physical Verification.-

Records for physical verification may be maintained in respect of all items held in the stock such as raw material, process materials, packing materials, consumables, stores, machinery spares, chemicals, fuels, finished goods and fixed assets etc. Reasons for shortages or surplus arising out of such verifications and the method followed for adjusting the same in the cost of the goods or services shall be indicated in the records;

Form CRA-3

[See rule 6(4) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014]

FORM OF THE COST AUDIT REPORT

I/We,	having been appointed as	s Cost Auditor(s) under	sub-section (3) of section
148 of the Companies Act, 2	013 (18 of 2013) of		(mention name of the
company) having its registere	d office at	(mentio	n registered office address
of the company) (hereinafter	referred to as the company),	have audited the Cost	Records maintained under
section 148 of the said	Act, in compliance with	the cost auditing	standards, in respect of
the[mei	ntion name (s) of <i>Product</i> (s)	/ service(s)] for the pe	riod/year
(mention the financial year) r	naintained by the company a	and report, in addition t	o my/our observations and
suggestions in paragraph 2.			

(i) I/We have/have not obtained all the information and explanations, which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purpose of this audit.

- (ii) In my/our opinion, proper cost records, as per rule 5 of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 have/have not been maintained by the company in respect of product(s)/service(s) under reference.
- (iii) In my/our opinion, proper returns adequate for the purpose of the Cost Audit have/have not been received from the branches not visited by me/us.
- (iv) In my/our opinion and to the best of my/our information, the said books and records give/do not give the information required by the Companies Act, 2013, in the manner so required.
- (v) In my/our opinion, the company has/does not have adequate system of internal audit of cost records which to my/our opinion is commensurate to its nature and size of its business.
- (vi) In my/our opinion, information, statements in the annexure to this cost audit report gives/does not give a true and fair view of the cost of production of product(s)/rendering of service(s), cost of sales, margin and other information relating to product(s)/service(s) under reference.
- (vii) Detailed unit-wise and product/service-wise cost statements and schedules thereto in respect of the product/service under reference of the company duly audited and certified by me/us are/are not kept in the company.

Observations and suggestions, if any, of the Cost Auditor, relevant to the cost audit,

		,
Dated: this day of	20at	(mention name of place of signing this report)
	SI	GNATURE AND SEAL OF THE COST AUDITOR (S)
		MEMBERSHIP NUMBER (S)

NOTES:

2.

- (1) Delete words not applicable.
- (2) If as a result of the examination of the books of account, the Cost Auditor desires to point out any material deficiency or give a qualified report, he or she shall indicate the same against the relevant para (i) to (vi) in the prescribed form of the Cost Audit Report giving details of discrepancies he/she has come across.
- (3) The report, suggestions, observations and conclusions given by the Cost Auditor under this paragraph shall be based on verified data, reference to which shall be made here and shall, wherever practicable, be included after the company has been afforded an opportunity to comment on them.

Annexure to the Cost Audit Report

Part-A

1. General Information

1	Corporate identity number or foreign company registration number	
2	Name of company	
3	Address of registered office or of principal place of business in India of company	
4	Address of corporate office of company	
5	Email address of company	
6	Date of beginning of reporting Financial Year	dd/mm/yyyy

7	Date of end of reporting Financial Year	dd/mm/yyyy
8	Date of beginning of previous financial year	dd/mm/yyyy
9	Date of end of previous financial year	dd/mm/yyyy
10	Level of rounding used in cost statements (in INR)	Absolute/thousands/lacs/crores
11	Whether Indian Accounting Standards are applicable to the company	Yes/No
12	Number of cost auditors for reporting period	
13	Date of board of directors meeting in which annexure to cost audit report was approved	
14	Whether cost auditors report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks	
15	Consolidated qualifications, reservations or adverse remarks of all cost auditors	
16	Consolidated observations or suggestions of all cost auditors	
17	Whether company has related party transactions for sale or purchase of goods or services	

2. General Details of Cost Auditor

1	Whether cost auditor is lead auditor	
2	Category of cost auditor	
3	Firm's registration number	
4	Name of cost auditor/cost auditor's firm	
5	PAN of cost auditor/cost auditor's firm	
6	Address of cost auditor or cost auditor's firm	
7	Email id of cost auditor or cost auditor's firm	
8	Membership number of member signing report	
9	Name of member signing report	
10	Name(s) of product(s) or service(s) with CETA Headings	
11	SRN number of Form 23C / CRA-2	
12	Number of audit committee meeting attended by cost auditor during year	
13	Date of signing cost audit report and annexure by cost auditor	
14	Place of signing cost audit report and annexure by cost auditor	

3. Cost Accounting Policy

(1) Briefly describe the cost accounting policy adopted by the Company and its adequacy or otherwise to determine correctly the cost of production/operation, cost of sales, sales realisation and margin of the

product(s)/service(s) under reference separately for each product(s)/service(s). The policy should cover, interalia, the following areas:

- a) Identification of cost centres/cost objects and cost drivers.
- b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares, employee cost, utilities and other relevant cost components.
- c) Accounting, allocation and absorption of overheads
- d) Accounting for Depreciation/Amortisation
- e) Accounting for by-products/joint-products or services, scarps, wastage etc.
- f) Basis for Inventory Valuation
- g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party transactions.
- h) Treatment of abnormal and non-recurring costs including classification of other non-cost items.
- i) Other relevant cost accounting policy adopted by the Company
- (2) Briefly specify the changes, if any, made in the cost accounting policy for the product(s)/service(s) under audit during the current financial year as compared to the previous financial year.
- (3) Observations of the Cost Auditor regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, followed by the company.

4. PRODUCT/SERVICE DETAILS (for the company as a whole)

	UOM	CETA Heading (Wherever applicable)	Whether Covered	Net Operational Revenue (net of taxes, duties etc.)		
Name of Product(s) /Service(s)			under Cost Audit Yes / No	Current Year Rs.	Previous Year Rs.	
1.						
2.						
3.						
4.						
Total Net revenue from Operations						
Other Incomes of Company						
Total revenue as per Financial Accounts						
Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any						
Total Revenue including Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any						
Turnover as per Excise/Service Tax Records						

Note:

1) Explain the difference, if any, between Turnover as per Financial Statements and Turnover as per Excise/Service Tax Records.

PART-B

FOR MANUFACTURING SECTOR

1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each product with	CETA Hea	ading separately	<i>y</i>)
Name of Product			
CETA Heading			
Particulars	Unit	Current Year	Previous Year
1. Available Capacity			
(a) Installed Capacity			
(b) Capacity enhanced during the year, if any			
(c) Capacity available through leasing arrangements, if any			
(d) Capacity available through loan license / third parties			
(e) Total available Capacity			
2. Actual Production			
(a) Self manufactured			
(b) Produced under leasing arrangements			
(c) Produced on loan license / by third parties on job work			
(d) Total Production			
3. Production as per Excise Records			
4. Capacity Utilisation (in-house)			
5. Finished Goods Purchased			
(a) Domestic Purchase of Finished Goods			
(b) Imports of Finished Goods			
(c) Total Finished Goods Purchased			
6. Stock and Other Adjustments			
(a) Change in Stock of Finished Goods			
(b) Self / Captive Consumption (incl. samples etc.)			
(c) Other Quantitative Adjustments, if any (wastage etc.)			
(d) Total Adjustments			
7. Total Available Quantity for Sale $[2(d) + 5(c) + 6(d)]$			
8. Actual Sales			
(a) Domestic Sales of Product			
(b) Domestic Sales of Traded Product			
(c) Export Sale of Product			
(d) Export Sale of Traded Product			
(e) Total Quantity Sold			

2. AB	RIDGED COS'	Г ЅТАТЕМЕ	NT (for each	product with	CETA H	eadin	g sepa	arately)	
	Name of Produ	uct							
	CETA Headin	g							
	Unit of Measu	re							
		Production	Finished Goods Purchased	Finished Stock Adjustment	Capti Consum			Other ustments	Quantity Sold
	Current Year								
	Previous Year								
					Curre	nt Ye	ar	Previo	ous Year
Sl. No.					Amount (Rs.)	per	ate Unit Rs.)	Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)
1	Materials Cons	Para 2A)							
2	Process Materia								
3	Utilities (specif								
4	Direct Employe								
5	Direct Expenses								
6	Consumable Stores and Spares								
7	Repairs and Ma	aintenance							
8	Quality Control	l Expenses							
9	Research and D	evelopment E	Expenses						
10	Technical know	v-how Fee / Re	oyalty						
11	Depreciation/A	mortisation							
12	Other Production	on Overheads							
13	Industry Specif per Para 2C)	ic Operating I	Expenses (spe	cify details as					
14	Total (1 to 13)								
15	Increase/Decrea	ase in Work-ir	n-Progress						
16	Less: Credits fo	or Recoveries,	if any						
17	Primary Packin	g Cost							
18	Cost of Production/Operations (14 + 15 to 17)								
19	Cost of Finished Goods Purchased								
20	Total Cost of P	roduction and	Purchases (18	8 + 19)					
21	Increase/Decrea								
22	Less: Self/Capt	_	ion (incl. San	nples, etc.)					
23	Other Adjustme		of Product S	old (20 ± 21					
24	to 23)	nom operation	or rroduct o	014 (20 21					

64	THE GAZETTE OF INDIA : EXT	[PART II—SEC. 3(i)]					
25	Administrative Overheads						
26	Secondary Packing Cost						
27	Selling and Distribution Overheads						
28	Cost of Sales before Interest (24 to 27)						
29	Finance Cost						
30	Cost of Sales (28 + 29)						
31	Net Sales Realisation (Net of Taxes and Duties)						
32	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (31 - 30)						
	NOTES:	1					
1.	. Separate cost statement shall be prepared for each CETA heading representing the product.						
2.	In case the same product has different unit of measure, separate cost statement shall be provided for different unit of measures.						
3.	The items of cost shown in the Proforma are indicative and the same shall be reflected keeping in mind the materiality of the item of cost in the product. The Proforma may be suitably modified to meet the requirement of the industry/product.						
4.	In case the company follows a pre-determined or standard costing system, the above cost statement shall reflect figures at actuals after adjustment of variances, if any.						

Name of P	roduct							
CETA Hea	ding							
Dogovinti			(Current Yea	ır	P	revious Yea	ar
Descripti on of Material	Category	UOM	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2B. Details of Utilities Consumed

Name of Product								
CETA Heading								
		(Current Ye	ar	F	Previous Year		
Description of Material	UOM	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2C. Details of Industry Specific Operating Expe	nses		
Name of Product			
CETA Heading			
Description of Industry Specific Operating Exp	ongog	Current Year	Previous Year
Description of industry Specific Operating Exp	clises	Amount	Amount
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PART-C FOR SERVICE SECTOR

1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each service separately)							
Name of Service							
Service Code (if applicable)							
Particulars	Unit of Measurement	Current Year	Previous Year				
1. Available Capacity							

66 THI	E GAZETTE OF IN	DINARY	[PART II—SEC.	
(a) Installed Capacity				
(b) Capacity enhanced during	ng the year, if any			
(c) Total available Capacity				
2. Actual Services Provided				
(a) Own Services				
(b) Services under contractu	ial arrangements			
(c) Outsourced Services				
(d) Total Services				
3. Total Services provided as Records	per Service Tax			
4. Capacity Utilisation (in-hou	ise)			
5. Actual Sales				
(a) Services rendered – Do	mestic			
(b) Services rendered – Ex	port			
(c) Total Services Rendere	d			

2	. ABRIDGED COST STATEMENT (for	each service	separately	7)			
N	Same of Service						
S	ervice Code (if applicable)						
U	Init of Measure						
		Services Provided	Consun	aptive iption	Adjı	Other astments	Services rendered
	Current Year						
	Previous Year						
			Curr	ent Yea	ır	Previou	ıs Year
Sl. No.	Particulars		Amou nt (Rs.)	Rate Unit	e per (Rs.)	Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)
1	Materials Consumed (specify details as pe	er Para 2A)					
2	Utilities (specify details as per Para 2B)						
3	Direct Employees Cost						
4	Direct Expenses						
5	Consumable Stores and Spares						
6	Repairs and Maintenance						
7	Quality Control Expenses						
8	Research and Development Expenses						
9	Technical know-how Fee / Royalty						
10	Depreciation/Amortisation						
11	Other Overheads						

12	Industry Specific Operating Expenses (specify details as per Para 2C)							
13	Total (1 to 12)							
14	Less: Credits for Recoveries, if any							
15	Cost of Services provided (13 - 14)							
16	Cost of Outsourced/Contractual Services							
17	Total Services available							
18	Less: Self/Captive Consumption							
19	Other Adjustments (if any)							
20	Cost of Services Sold (17 – 18 + 19)							
21	Administrative Overheads							
22	Selling and Distribution Overheads							
23	Cost of Sales before Interest (20+21+22)							
24	Finance Cost							
25	Cost of Sales (23 + 24)							
26	Net Sales Realisation (Net of Taxes and Duties)							
27	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (26 - 25)							
	NOTES:							
1.	Separate cost statement shall be prepared for each service	ce						
2.	The items of cost shown in the proforma are indicative and the same should be reflected keeping in mind the materiality of the item of cost in the service.							
3.	The proforma may be suitably modified to meet the req	uirement o	f the industry	/service.				
4.	4. In case the company follows a pre-determined or standard costing system, the above cost statement should reflect figures at actuals after adjustment of variances, if any.							

Name of S	Service							
Service C	ode (if appli	cable)						
Dogovint				Current Yea	ır	Pi	revious Yea	r
Descript ion of Material	Category	UOM	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

68	8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—						RT II—SEC.		
7.									
8.									
9.									
10.									
Category:	Category: Indigenous/ Imported/ Self Manufactured								

Name of Service							
Service Code (if ap	oplicable)						
		(Current Yea	ır	P	revious Yea	ar
Description of Material	UOM	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

on coc	Current Year	Previous Year
HSES	Amount	Amount
	enses	enses

9.	
10.	

PART-D

1. PRODUCT AND SERVICE PROFITABILITY STATEMENT (for audited products/services)

S.	Particulars	C	Current Year	r	Previous Year		
No.		Sales	Cost of Sales	Margin	Sales	Cost of Sales	Margin
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Product 1						
	Product 2						
	Product 3						
	etc.						
	Service 1						
	Service 2						
	Service 3						
	etc.						
	Total						

2. P	2. PROFIT RECONCILIATION (for the company as a whole)									
S.No.	Particulars	Current Year	Previous Year							
		Rs.	Rs.							
1	Profit or Loss as per Cost Accounting Records									
	(a) For the audited product(s)/service(s)									
	(b) For the un-audited product(s)/service(s)									
2	Add: Incomes not considered in cost accounts (specify details)									
	a)									
	b)									
	c)									
	d)									
	e)									
	f)									
	g)									
	h)									

	i)	
	j)	
3	Less: Expenses not considered in cost accounts (specify details)	
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	
	i)	
	j)	
4	Difference in Valuation of stock between financial accounts and cost accounts	
5.	Other adjustments, if any	
6	Profit or Loss as per Financial Accounts (excluding Other Comprehensive Income for companies following Ind AS)	

Note: Show abnormal wastages, expenses on strikes/lock-outs and any other items of expenses or incomes of abnormal nature etc. not considered in cost separately

2. VALUE ADDITION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS (for the company as a whole)

S.No.	Particulars	Current Year Rs.	Previous Year Rs.
	Value Addition:		
1	Gross Sales (excluding sales returns)		
2	Less: Excise duty, etc.		
3	Net Sales		
4	Add: Export Incentives		
5	Add/Less: Adjustment in Finished Stocks		
6	Less: Cost of bought out inputs		
	(a) Cost of Materials Consumed		
	(b) Process Materials / Chemicals		
	€ Consumption of Stores and Spares		
	(d) Utilities (e.g. power and fuel)		
	€ Others, if any		
	Total Cost of bought out inputs		
7	Value Added		

8	Add: Income from any other sources
9	Add: Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any
10	Earnings available for distribution
	Distribution of Earnings to:
1	Employees as salaries and wages, retirement benefits, etc.
2	Shareholders as dividend
3	Company as retained funds
4	Government as taxes (specify)
5	Exceptional and Extra Ordinary Expenses, if any
6	Others, if any (specify)
7	Total distribution of earnings

4. FINANCIAL POSITION AND RATIO ANALYSIS (for the company as a whole)

S.No.	Particulars	Units	Current Year	Previous Year
Α.	Financial Position		<u> </u>	
1	Share Capital (see Note 1)			
2	Reserves and Surplus (see Note 1)			
3	Long Term Borrowings (see Note 1)			
4	(a) Gross Fixed Assets			
	(b) Net Fixed Assets (see Note 1)			
5	(a) Current Assets			
	(b) Less: Current Liabilities			
	(c) Net Current Assets			
6	Capital Employed (see Note 2)			
7	Net Worth (see Note 3)			
В.	Financial Performance		<u> </u>	
1	Value Added			
2	Net Revenue from Operations of Company			
3	Profit before Tax (PBT)			
C.	Profitability Ratios		1	
1	PBT to Capital Employed (B3/A6)	%		
2	PBT to Net Worth (B3/A7)	%		
3	PBT to Value Added (B3/B1)	%		

	4	PBT to Net revenue from Operations (B3/B2)	%	
D.		Other Financial Ratios		_
	1	Debt-Equity Ratio		
	2	Current Assets to Current Liabilities		
	3	Valued Added to Net Revenue from Operations	%	
E.		Working Capital Ratios	1	
	1	Raw Materials Stock to Consumption	Months	
	2	Stores and Spares to Consumption	Months	
	3	Finished Goods Stock to Cost of Sales	Months	

Notes:

- 1) In this table, in case of companies to which Indian Accounting Standards apply:
 - a) Share Capital shall mean 'Equity Share Capital'
 - b) Reserves and Surplus shall mean 'Other Equity.'
 - c) Long Term Borrowings shall mean 'Borrowing under Non-Current Liabilities'
 - d) Net Fixed Assets shall mean the sum total of 'Property, Plant and Equipment', 'Capital Work in Progress', 'Goodwill', 'Other intangible assets', 'Intangible assets under development' and 'Biological assets other than bearer plants'.
- 2) Capital Employed means average of Net fixed assets (excluding effect of revaluation) plus Non-current investments and net current assets existing at the beginning and close of the financial year.
- 3) Net Worth is as defined under clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013.

5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (for the company as a whole)

S. No.	Name and Address of the Related Party	Name of the Product/ Service	Nature of Transaction (Sale, Purchase etc.)	Quantity	Transfer Price	Amount	Normal Price	Basis adopted to determine the Normal Price
1								
2								
3								
4								
5								
6			-					
7								
8								
9								
10								

NOTES:

- 1) Details should be furnished for each Related Party and Product /Service separately.
- 2) Details of Related Party transactions without indicating the Normal Price and the basis thereof shall be considered as incomplete information.

6. Reconciliation of Indirect Taxes (for the Company as a whole)

Assessable Value	Excise Duty	Service Tax	Cess and Others	VAT	
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
etc.					
e (5 to					
- Inputs					
- Capital					
- Input					
- Others					
+ 15)					
axes					
	1				
		otes in respect of Item 4 above			

Note: Provide separate amounts in notes in respect of Item 4 above.

SIGNATURE	SIGNATURE	SIGNATURE
NAME	NAME	NAME
COST AUDITOR	COMPANY SECRETARY/DIRECTOR	DIRECTOR
MEMBERSHIP NUMBER	MEMBERSHIP/DIN NUMBER	DIN NUMBER
SEAL	STAMP	STAMP
DATE	DATE	DATE

Notes:

- (1) Wherever, there is any significant variation in the current year's figure over the previous year's figure for any item shown under each para of the Annexure to the Cost Audit Report, reasons thereof shall be given by the Cost Auditor.
- (2) Wherever, duration of the current year or the previous year is not twelve months, same shall be clearly indicated in the report."

[F. No. 1/40/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification. The proposed amendments have been made on account of amendments made in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425(E), dated the 30th June, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 01(E), dated the 31st December, 2014 and *vide* number G.S.R. 486 (E), Dated the 12th June, 2015 and *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 14th July, 2016.